छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 52 ■ अम्बिकापुर, गुरूवार 12 फरवरी 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

हरदीप सिंह पुरी ने माना एप्स्टीन से हुई थी मेरी मुलाकात, राहुल गांधी के आरोपों का दिया करारा जवाब

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है। उन्हें इस संबंध में नोटिस भेजा गया है और शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। सत्ता पक्ष ने लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनके बयान के बाद सदन में राजनीतिक माहौल गरमा गया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया। हालांकि, जब आसन पर बैठे जगदंबिका पाल ने उन्हें टोका, तो राहुल गांधी ने कहा कि वह एप्स्टीन का नाम नहीं लेंगे।

उनके मुताबिक, अमेरिका ने बीजेपी के वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाकर यह कार्रवाई की है। उन्होंने उद्योगपति अनिल अंबानी का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें अब तक जेल नहीं भेजा गया क्योंकि उनका नाम कथित तौर पर एप्स्टीन फाइल में है।

हरदीप सिंह पुरी का भी लिया नाम

राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेते हुए सवाल किया कि उन्हें एप्स्टीन से किसने मिलवाया। इस बयान पर भी सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि राहुल गांधी को सदन में बुलाकर उनसे अपने आरोपों के सबूत पेश करने को कहा जा सकता है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को संसदीय मर्यादा के खिलाफ बताया है।

हरदीप सिंह पुरी ने दिया जवाब

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि दो तरह के नेता होते हैं एक वे जो सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी निभाते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरे वे जो कभी-कभी संसद में आते हैं और भाषण देकर चले जाते हैं। पुरी ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन के साथ उनकी बातचीत का उनके खिलाफ लगे आरोपों से कोई संबंध नहीं था। उनका मुख्य संपर्क लिंक्डइन के सह-संस्थापक रीड हॉफमैन से था, जिन्हें उन्होंने भारत आने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने बताया कि तीन मिलियन ईमेल में सिर्फ तीन-चार बार उनका नाम आया। वे कुछ मौकों पर एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में एप्स्टीन से मिले थे और केवल एक ईमेल का आदान-प्रदान हुआ था। बातचीत 'मेक इन इंडिया' जैसे विषयों पर हुई थी और उनका एप्स्टीन के कथित अपराधों से कोई लेना-देना नहीं था। पुरी ने कहा कि उन्हें एप्स्टीन की गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और एप्स्टीन ने उन्हें दोमुंहा तक कहा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ईमेल पढ़ने चाहिए।

मोदी-शाह ने बीजेपी जॉइन करने ऑफर दिया- भूपेश

कमिटमेंट नहीं दिया तो छापे पड़ने लगे

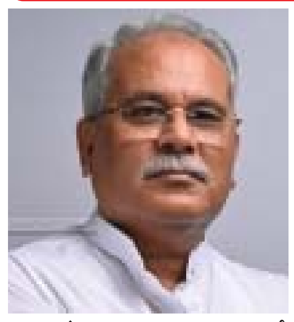

छ.ग.फ्रंटलाइन रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दावा किया है कि मोदी-शाह ने मुझे भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया था। जब कमिटमेंट नहीं दिया तो मेरे यहां लगातार छापे पड़ने लगे। उन्होंने ये सारी बातें सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में कही। भूपेश बघेल ने कहा कि एक-दो बार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मिलने बुलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। शुरुआत में समझ नहीं आया कि किस मकसद से बुलाया जा रहा है। बाद में एहसास हुआ कि जब-जब वे इन मुलाकातों से लौटते थे, उसके कुछ दिनों के भीतर छापा पड़ जाता था।

भूपेश बोले- मदद का दिया ऑफर

भूपेश बघेल ने कहा कि मुलाकात के दौरान पूछा जाता था कि उनके खिलाफ कौन-कौन से केस चल रहे हैं, कौन से अधिकारी भरोसेमंद हैं और किस तरह मदद की जा सकती है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वे विपक्ष में हैं और विपक्ष का धर्म सरकार की आलोचना करना होता है, जिसे वे निभाते रहेंगे। इसके बावजूद मदद की बात सुनकर उन्हें हैरानी होती थी।

8-10 दिन के अंदर फिर से पड़ता था छापा

पूर्व सीएम ने कहा कि वे अपनी बात कहकर लौट आते थे, लेकिन करीब आठ-दस दिन के भीतर फिर से छापा पड़ जाता था। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर कहा कि आपने तो मदद की बात कही थी, लेकिन मेरे यहां तो छापा पड़ गया। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अधिकारियों से बात करेंगे।

भाजपा में आने का इशारा था- भूपेश

भूपेश बघेल ने कहा कि शुरुआत में समझ नहीं आया कि भाजपा में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। कभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बाद में यह साफ हो गया कि वे कोई कमिटमेंट देकर नहीं लौटते थे, इसलिए हर चार-पांच दिन में उनके यहां छापे पड़ते थे।

विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा का अष्टम सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आहूत किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।

विधानसभा सत्र के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय या मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे। अति आवश्यक कार्य या अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा एवं जिला स्तर के अधिकारी के अवकाश हेतु कलेक्टर सरगुजा से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे।

मैनपाट घूमने के बहाने लूटी गई स्कार्पियो वाहन कोरबा जिले के जंगल से बरामद

मालिक का बेल्ट से गला दबाने का प्रयास, गड्ढे में कूदकर वाहन स्वामी ने बचाई जान

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मैनपाट घूमने के लिए अंबिकापुर से स्कार्पियो वाहन बुकिंग कराकर निकले सवारों की वापस आते समय नियत डोल गई और चालक सह वाहन स्वामी का बेल्ट से गला दबाते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। इनकी खतरनाक मंशा सामने आने पर आनन-फानन में खुद को इनके चंगुल से मुक्त करके वाहन स्वामी गेट खोलकर भागा और सड़क के किनारे एक गड्ढे में छलांग लगाकर छिप गया, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद आरोपी वाहन मालिक का मोबाइल फोन सड़क के किनारे फेंककर स्कार्पियो वाहन लेकर भाग गए। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल के द्वारा जिले सहित सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में सूचना देकर कराई गई नाकाबंदी के फलस्वरूप आरोपी कोरबा जिला के बांगो जंगल क्षेत्र में स्कार्पियो वाहन को लावारिस हाल में छोड़कर फरार हो गए थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक भट्ठी रोड केदारपुर, अंबिकापुर निवासी अंकित सिन्हा के मोबाइल फोन में 10 फरवरी को सुबह करीब 10.35 बजे पुराना बस स्टैंड से एक व्यक्ति ने कॉल करके मैनपाठ जाने और आने के लिए कुछ लोगों के द्वारा वाहन

तलाशने की जानकारी दी और पुराना बस स्टैंड में कुमार कलेक्शन के पास स्कार्पियो वाहन लेकर आने के लिए कहा। इस पर अंकित ने ड्रायवर नहीं होने की बात कहते हुए स्वयं अपना स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी 16 सीजे 5333 लेकर पुराना बस स्टैंड में पंचर दुकान के पास पहुंच गया। वाहन आने के बाद कपड़ा दुकान में मौजूद 04 व्यक्ति आए और घूमने व जरूरी काम से मैनपाठ चलने का आग्रह करते हुए उसे जाने के लिए राजी कर लिए। इसके बाद सभी अपना-अपना बैग गाड़ी के पीछे रख दिए और मैनपाठ के उल्टापानी में दोपहर करीब 12 बजे पहुंच गए। यहां से चारों सवारों को लेकर अंकित, टाइगर पाइंट दोपहर करीब 01.30 बजे पहुंचा। दलदली पाइंट घूमने के बाद शाम करीब 05 बजे चारों के साथ वाहन स्वामी मैनपाठ के ही होटल में नास्ता किया, और सभी वापस अंबिकापुर आने के लिए निकले। वाहन बुकिंग कराकर निकले लोगों ने वाहन स्वामी को अंबिकापुर पहुंचने के बाद रेल्वे स्टेशन छोड़ देने के लिए कहा। बरगई चौक के पास सूनसान में शाम करीब 07 बजे सामने सीट में बैठे व्यक्ति ने उल्टी लगने की बात कहते हुए गाड़ी को रोकने कहा, जिस पर अंकित सड़क के किनारे अपनी स्कार्पियो वाहन को रोक दिया। सामने बैठे व्यक्ति के गाड़ी से उतरने के बाद पीछे बैठा दूसरा व्यक्ति भी उल्टी लगने की बात कहते हुए गाड़ी से नीचे उतर गया। इसके बाद सामने बैठा व्यक्ति हाथ-मुंह धोकर वाहन चालक के गेट के पास आकर खड़ा हो गया। इनकी साजिश से वाहन स्वामी अनभिज्ञ था। अचानक चालक के सीट के पीछे बैठा व्यक्ति बेल्ट से अंकित सिन्हा के गले को दबाकर पीछे की तरफ खींचने लगा, जिससे वह हड़बड़ा गया और स्वयं को खतरे में देखकर जैसे-तैसे संघर्ष करके वह बेल्ट को अपने गले से निकाला और स्कार्पियो का गेट खोलकर भागने लगा। चारों व्यक्ति उसे दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश किए। खुद को खतरे में देखकर वाहन स्वामी सड़क के किनारे एक गड्ढे में कूदकर छिप गया। चारों को जब वह कहीं नजर आया तो वापस गाड़ी के पास आ गए और स्कार्पियो वाहन में रखे अंकित के मोबाइल फोन को थोड़ी दूर में सड़क के किनारे फेंककर वाहन लेकर भाग गए। इनके जाने के बाद अंकित मोबाइल फोन से स्वजन सहित अन्य से संपर्क करके घटना की जानकारी देकर दरिमा थाने पहुंचा और मैनपाट घूमने के नाम पर स्कार्पियो वाहन में सवार हुए लोगों के द्वारा वाहन लूटकर ले जाने की जानकारी दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी देकर पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।

एसएसपी ने किया अलर्ट, वाहन छोड़कर भागे लुटेरे

दरिमा थाना प्रभारी राजेश खलखो ने बताया कि स्कार्पियो वाहन लूटकर भागने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई थी, जिस पर डीआईजी व एसएसपी राजेश अग्रवाल ने जिले के सभी थाना व सीमावर्ती क्षेत्रों की पुलिस को अलर्ट करके वाहनों की चेकिंग करने के लिए अलर्ट किया था। कोरबा पुलिस द्वारा भी वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। पुलिस की सख्ती देखकर बदमाश स्कॉर्पियो को कोरबा के जंगल में लावारिस हाल में छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

गौवंश को क्रूरतापूर्वक बूचड़खाना ले जाते 4 गिरफ्तार, 15 मवेशी बरामद

छ.ग.फ्रंटलाइन बलंगी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिला के त्रिकुंडा थाना अंतर्गत डिण्डो चौकी पुलिस ने 15 मवेशियों को मारते-पीटते बूचड़खाना ले जा रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गई है।

जानकारी के मुताबिक चौकी डिण्डो की पुलिस को 10 फरवरी को मुखबिर के सूचना मिली कि वाड्रफनगर की ओर से बैल, गाय, बछिया को चार व्यक्ति मारपीट करते हुए झारखण्ड की ओर ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम बेरियर के पास पहुंची तो 15 नग गाय, बैल, बछड़ा को 4 व्यक्ति हांकते हुए ला रहे थे। पूछताछ में इन्होंने धीरसाय पिता भगवत का 04 नग बछिया, राजरुप पिता दिलबर का 09 नग गाय, बैल, बछिया दोनों ग्राम कोटराही थाना बसंतपुर व रामप्रसाद पिता शिहु का 02 नग बैल होना बताया। इसे गांव से लेकर वे बिक्री करने के लिए गढ़वा झारखण्ड की ओर जा रहे थे, साथ में निरपत पिता लल्लु भी बैल हांकने में सहयोग कर रहा था। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ग्राम कोटराही से गाय, बैल, बछिया लेकर बिक्री करने के लिए गढ़वा झारखण्ड के बूचड़खाना ले जाते है। संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी धीरसाय भुईया, राजरुप भुईया, रामप्रसाद भुईया के विरूद्ध छ.ग. पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

सुरक्षा में सेंध और रिजल्ट में देरी से आक्रोश, तीन दिन का दिया अल्टीमेटम

आजाद सेवा संघ ने प्राचार्य को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, पोर्टल शुल्क बंद करने की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। आजाद सेवा संघ ने बुधवार को राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की अव्यवस्थाओं के खिलाफ हुंकार भरी। प्रदेश सचिव रचित मिश्रा के अगुवाई में दर्जनों छात्रों ने कॉलेज पहुंचकर प्राचार्य को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और कैंपस के बिगड़ते माहौल पर गहरी चिंता व्यक्त की। ज्ञापन सौंपने के दौरान रचित मिश्रा ने सीधे तौर पर कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसर शिक्षा का मंदिर है, लेकिन ड्रेस कोड और पहचान पत्र की अनिवार्यता नहीं होने की वजह से यहां बाहरी असामाजिक तत्वों का आना-जाना बढ़ गया है। इससे छात्र-छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संघ ने मांग की है कि गेट पर चेकिंग सख्त हो और हर आगंतुक का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाए। छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं को उठाते हुए संघ ने बताया कि पांचवें सेमेस्टर एटीकेटी के परिणाम अब तक घोषित नहीं हुए हैं। इस देरी के कारण छात्रों का कीमती साल बर्बाद होने के कगार पर है, क्योंकि वे आगे पीजी में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। रचित मिश्रा ने प्रशासन को चेतावनी दी कि 3 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी नहीं किए गए, तो छात्र चुप नहीं बैठेंगे। संघ ने कॉलेज पोर्टल पर फॉर्म भरने के नाम पर लिए जा रहे अतिरिक्त 5 रुपये के शुल्क को अवैध वसूली करार दिया। छात्रों का कहना है कि एक तरफ तो कॉलेज भारी-भरकम फीस वसूलता है, दूसरी ओर छोटे-छोटे चार्ज लगाकर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। जिन छात्रों ने आईडी कार्ड के पैसे जमा कर दिए हैं, उन्हें महीनों बाद भी कार्ड नहीं मिलना कॉलेज की सुस्त कार्यप्रणाली को दर्शाता है। ज्ञापन सौंपाते समय विकास, विवेक, सक्षम, अभिजीत, प्रिंस, विनय, अभय, सोनू, भोलू उपस्थित रहे।

छात्रहितों से समझौता मंजूर नहीं

प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने दो टूक शब्दों में कहा हम प्रशासन को समय दे रहे हैं कि वे शांतिपूर्वक इन मांगों को पूरा करें। अगर हमारे धैर्य की परीक्षा ली गई और जल्द ही सुधार नहीं हुआ, तो आजाद सेवा संघ कॉलेज परिसर में उग्र आंदोलन और तालाबंदी करेगा। छात्र हितों से समझौता हम किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे।

मतदाता सूची से वैध मतदाताओं का नाम हटाने को लेकर राजनीतिक विवाद गहराया

कांग्रेस ने शहर के 1143 मतदाताओं का नियम विरुद्ध तरीके से नाम कटवाने का किया दावा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। एसआईआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) प्रक्रिया के दौरान वैध मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के प्रयास को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा से जुड़े कुछ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से ऑनलाइन फार्म-7 भरकर एक वर्ग विशेष के मतदाताओं को मृत या अन्यत्र स्थानांतरित बताकर उनके नाम को विलोपित करने की सिफारिश की गई है।

कांग्रेस की ओर से राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि शहर में अब तक ऐसे 1143 मतदाताओं को चिन्हित किया गया है, जिनके नाम रूप से नियम विरुद्ध तरीके से काटने की कोशिश की गई। कांग्रेस का दावा है कि पूरे जिले में यह संख्या कई हजार हो सकती है। शिकायत में भाजयुमो के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अंशुल श्रीवास्तव, पार्षद पति विकास गुप्ता, पार्षद प्रत्याशी रहे विशेष केशरवानी, पूर्व पार्षद अवधेश सोनकर सहित डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों के नामों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि अलग-अलग पोलिंग बूथों के मतदाताओं का नाम हटाने के

लिए ऑनलाइन फार्म-7 भरा गया है। कांग्रेस का कहना है कि निर्वाचन नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना चाहिए, जबकि 99 प्रतिशत मामलों में यह शर्त पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि जिन मतदाताओं का नाम हटाने की अनुशंसा की गई है, उनमें निर्वाचित पार्षद, पूर्व पार्षद और बीएलओ, अन्य शासकीय कार्यालयों में जिम्मेदार पदों पर कार्यरत लोग भी शामिल हैं, जो अभी भी संबंधित वार्ड में निवासरत हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिए ज्ञापन में कांग्रेस ने मांग की है कि नियम विरुद्ध भरे गए सभी फार्म-7 को तत्काल निरस्त किया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और भविष्य में केवल नियमानुसार प्राप्त आवेदनों को ही स्वीकार करने के निर्देश जारी किए जाएं। वैध मतदाताओं के नाम अनावश्यक रूप से हटाए जाने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी गलत जानकारी के साथ नियम विरुद्ध फार्म-7 भरने वालों पर संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी भी कर रही है। इस मामले को लेकर स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं निर्वाचन अधिकारी की ओर से शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाने की बात कही जा रही है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह धंजल, आशीष वर्मा, पार्षद हसन खान, मेराज रंगरेज, शुभम जायसवाल, जीवन यादव, जमील खान, शानू मुखर्जी, अमित सिन्हा, अविनाश कुमार, अंशु सिंह, मिथुन सिंह सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी शामिल रहे।

जल जीवन मिशन की प्रगति की कलेक्टर ने की समीक्षा

समयबद्ध गुणवत्ता और निर्धारित मापदण्डों का पालन करने दिए निर्देश

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जिले में संचालित जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल-जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।

कलेक्टर श्री कटारा ने जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में नल-जल योजनाओं की प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता, पाइपलाइन विस्तार, स्रोत विकास, जल टंकी निर्माण एवं घरेलू नल कनेक्शन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जिन ग्रामों में कार्य अपूर्ण हैं, वहां तेजी लाते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसलिए सभी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समन्वय और गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यों को पूर्ण करें। इस दौरान कलेक्टर ने कार्यों में आ रही समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। ताकि ग्रामीणों को निरंतर जल उपलब्ध हो सके।

कलेक्टर ने लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कलेक्टर ने क्रेडा के अंतर्गत गतिविधियों की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए।

उन्होंने ठेकेदारों को प्रगतिरत एवं स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल-जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करते हुए पूरा करें। जनहित के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार कार्य नहीं पाये जाने पर संबंधितों पर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग श्री पंकज जैन सहित संबंधित अधिकारीगण एवं ठेकेदार उपस्थित रहे।

आधी रात एसएसपी ने जयनगर थाने का किया आकस्मिक निरीक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। जयनगर थाना में आधी रात को पुलिस अलर्ट मोड में दिखी जब अचानक एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने थाना का औचक निरीक्षण कर क्षेत्र में रात्रि गश्त का हाल जाना। 9-10 फरवरी की रात में पुलिसकर्मी अचानक अपने बीच एसएसपी को देखकर तत्काल अलर्ट मोड में आ गए। इस दौरान थाना के रिकार्ड अपडेट और नाईट आफिसर द्वारा रात्रि गश्त विवरण, निगरानी व गुण्डा बदमाशों की जानकारी बेहतर तरीके से बताने पर एसएसपी ने गुड कहा। एसएसपी ने कहा कि रात के समय आने वाले पीड़ितों की हरसंभव मदद करें, उनकी समस्या-शिकायतों पर त्वरित एक्शन लें।थाने के औचक निरीक्षण के बाद उन्होंने जयनगर थाना क्षेत्र के 2 रात्रि गश्त प्वाईंट पर तैनात अधिकारी व जवानों को चेक किया जहां वे एलर्ट पाए गए, जिन्हें एसएसपी ने कहा कि संवेदनशीलता के साथ रात्रि गश्त करें।

इसका उद्देश्य अपराध होने से रोकना, अपराधियों को पकड़ने के साथ ही आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना जागृत करना तथा समाज के कमजोर वर्गो के प्रति संवेदनशील व्यवहार करना है। ड्यूटी के दौरान सजगता, सतर्क गश्त और डॉक्टूमेंटेशन सहित पेशेवर व्यवहार से गश्त करने हेतु प्रोत्साहित किया तथा उनसे चर्चा कर उनकी गुजारिश भी पूछी।

सोशल मीडिया में विधायक के खिलाफ लिखा, थाने में शिकायत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक बातें लिखने पर संबंधित युवकों के खिलाफ एफआईआर के लिए जयनगर थाने में आवेदन दे कार्यवाही की मांग की गई है। जयनगर थाना प्रभारी को सौंपे शिकायत पत्र में भाजयुमो मंडल अध्यक्ष राजकुमार यादव ने उल्लेख किया है कि फेसबुक पोस्ट के जरिए ग्राम पंचायत परसापारा निवासी मुन्ने राजवाड़े पिता देवनाथ द्वारा प्रेमनगर विधायक के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है।

उक्त पोस्ट में इंद्रजीत राजवाड़े द्वारा कमेंट में गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि सोशल मीडिया में उक्त पोस्ट से प्रेमनगर विधायक की छवि धूमिल हुई है, इससे विधायक समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। दोनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि देर रात भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंच दोनों युवकों के खिलाफ आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस रात में ही युवकों को खोजने निकल गई। खबर है कि दूसरे दिवस दोनों युवकों को पुलिस ने पकड़कर प्रेमनगर विधायक के समक्ष पेश कर दिया। दोनों के द्वारा विधायक से माफीनामे के बाद मामले का पटाक्षेप हो गया है। जयनगर थाना प्रभारी टीआई रूपेश कुंतल एक्का ने बताया कि दोनों पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। किसी आयोजन में नहीं बुलाने के कारण नाराजगी के कारण दोनों ने सोशल मीडिया में कमेंट किया था।दोनों युवकों के खिलाफ शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों को पकड़ विधायक के समक्ष पेश कर दिया है और माफीनामे के बाद दोनों को छोड़ दिया गया है।

जेसीबी से टकराकर बाइक सवार दो युवक घायल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर जयनगर थाना से महज कुछ ही फर्लांग दूर जेसीबी की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गौरतलब है कि जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत वीरपुर निवासी 26 वर्षीय छत्रपाल राजवाड़े पिता गोपाल राम व 28 वर्षीय सुरेश प्रजापति पिता अमृत प्रजापति बुधवार की दोपहर बाइक में बिश्रामपुर की ओर जा रहे थे। इसी दरम्यान जयनगर थाना से महज कुछ दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर ग्राम पंचायत कुंजनगर में मोड के पास जेसीबी चालक की लापरवाही से बाइक सवार दोनों युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। सूचना पर तत्काल जयनगर पुलिस मौके पर पहुंच स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिश्रामपुर भेजवा दिया है।

भाजपा अजजा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बने संजू

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

दतिमा मोड़। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा में संगठन को मजबूती देने की दिशा में भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी के निर्देशानुसार एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवनन्दनपुर मंडल अध्यक्ष हरीश राजवाडे के सहमति से अजजा मोर्चा जिलाध्यक्ष अजय श्याम के द्वारा अजजा मोर्चा की जिला कार्यकारिणी एवं मण्डल अध्यक्षो की घोषणा की गई है। इसी क्रम में भाजपा शिवनन्दनपुर मंडल अध्यक्ष बीरपुर के संजू सिंह टेकाम को नियुक्त किया गया है। ज्ञात हो कि श्री सिंह लंबे समय से संगठन के गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। बता दे कि संजू सिंह टेकाम वर्तमान में जनपद सदस्य प्रतिनिधि भी है। इस नियुक्ति से पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में खुशी है। इस नियुक्ति को लेकर श्री सिंह ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व जिला संगठन का आभार व्यक्त किया है।

देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल आज मजदूर संगठनों ने दिखाई एकजुटता

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। केंद्र सरकार की मजदूर-विरोधी एवं निजीकरण समर्थक नीतियों के विरोध में 12 फरवरी को देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया गया है। यह जानकारी एसकेएमएस एटक के महासचिव अजय विश्वकर्मा, एचएमएस नेता नाथूलाल पांडेय, एससीकेएमसी इंटक के गोपाल नारायण सिंह तथा सीटू के महासचिव व्हीएम मनोहर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दी। श्रमिक नेताओं ने बताया कि हड़ताल को देश की दस प्रमुख ट्रेड यूनियनों एवं फेडरेशनों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा, खेतिहर मजदूर संगठनों, सिस्टा ओबीसी तथा विभिन्न विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना व्यापक संवाद के चार श्रम संहिताओं को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे मजदूरों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, वेतन संरचना, स्थायी रोजगार, पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी और सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता प्रभावित हो सकती है। नेताओं ने फिक्स्ड टर्म रोजगार, कार्य घंटे बढ़ाने, श्रम संस्थाओं की शक्तियों में कटौती तथा सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण जैसे मुद्दों को लेकर असंतोष जताते हुए कहा कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन आवश्यक हो गया है। उन्होंने बताया कि एसईसीएल में हड़ताल को सफल बनाने के लिए सोहागपुर, बैकुंठपुर और दीपका सहित विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें रायगढ़ से जोहिला क्षेत्र तक के यूनिट एवं क्षेत्रीय स्तर के नेताओं ने भाग लिया। इसके अलावा एटक, एचएमएस, इंटक और सीटू के संयुक्त मोर्चे द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में गेट मीटिंग और पल्ला बैठकों के माध्यम से श्रमिकों से हड़ताल में भाग लेने की अपील की जा रही है। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने दावा किया कि 12 फरवरी को एसईसीएल के सभी क्षेत्रों में श्रमिक हड़ताल में भाग लेंगे।

कल्याणपुर में अतिक्रमण को लेकर अनिश्चितकालीन चक्काजाम आज

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत कल्याणपुर में राजस्व भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण को लेकर आज 12 फरवरी को ग्रामीणों द्वारा चक्काजाम किया जाएगा।

कलेक्टर को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर में स्कूल मद में दर्ज रही 1.63 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर निजी मकान निर्माण किया गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेखित है कि यदि 12 फरवरी तक निर्माण पर रोक और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामसभा के बाद दोपहर 2 बजे से बस स्टैंड चौक कल्याणपुर में प्रतापपुर रोड पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा।

ग्रामीणों के अनुसार प.ह.नं. 16 अंतर्गत खसरा नंबर 2384, 2385, 2386 की कुल 1.63 हेक्टेयर भूमि पूर्व में स्कूल मद में दर्ज थी। बाद में यह भूमि त्रुटिवश आबादी मद में दर्ज हो गई। ग्रामीणों का दावा है कि यह भूमि शासकीय प्रयोजन के लिए वन अधिकार पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत को आबंटित है, इसलिए इस पर निजी स्वामित्व का दावा निराधार है। इसी बीच गांव के निवासी मनोहर जायसवाल पर आरोप है कि वे उक्त भूमि को अपनी निजी संपत्ति बताते हुए बड़े पैमाने पर कॉलम और प्लिंथ डालकर पक्का मकान खड़ा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागों क्रमशः राजस्व, पंचायत और वन विभाग को आवेदन देकर स्थिति स्पष्ट करने और निर्माण रुकवाने की मांग की। हर बार मौका जांच कराएंगे का आश्वासन मिला, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह जमीन स्कूल या अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए थी, तो उस पर निजी निर्माण कैसे हो रहा है। प्रशासन स्पष्ट करना चाहिए कि रिकॉर्ड में बदलाव कैसे हुआ। इसी संबंध में ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत कल्याणपुर में 12 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशेष ग्रामसभा बुलाने की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि इस ग्रामसभा में राजस्व रिकॉर्ड, वन अधिकार पत्र और जमीन के उपयोग पर विस्तार से चर्चा होगी। ग्रामसभा के बाद दोपहर 2 बजे से बस स्टैंड कल्याणपुर में प्रतापपुर मार्ग पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। प्रतापपुर रोड क्षेत्र की प्रमुख सड़क है, ऐसे में चक्का जाम से आवागमन पूरी तरह बाधित होने की संभावना है।

बीएमएस में निर्णय की प्रक्रिया सामूहिक : सुरेंद्र पांडेय

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। अखिल भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के नवनियुक्त महामंत्री सुरेंद्र पांडेय ने स्थानीय बीएमएस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि संगठन में निश्चित अंतराल पर दायित्व परिवर्तन की परंपरा है और उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका वे पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि बीएमएस में सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। पांडेय ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के अधिक से अधिक मजदूर बीएमएस से जुड़ें, ताकि उन्हें उनका वाजिब हक दिलाया जा सके। चार लेबर कोड के विरोध में 12 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि कुछ श्रम संगठनों में भ्रम की स्थिति है, जबकि चार श्रम कानूनों में दो पूरी तरह उचित हैं और दो पर बीएमएस ने खुली चर्चा की मांग की है।

संगठन ने अपनी आपत्तियां सरकार तक पहुंचा दी हैं और संवाद के माध्यम से समाधान का पक्षधर है। इसी कारण बीएमएस ने हड़ताल से अलग रहने का निर्णय लिया है। कोयला उद्योग में निजीकरण के प्रभाव पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अधिकारियों, कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों को ईमानदारी से कार्य करना होगा, अन्यथा भविष्य प्रभावित हो सकता है। ठेका श्रमिकों को नियमित कर्मियों के समान सुविधाएं और न्यूनतम वेतन दिलाने के लिए बीएमएस प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से रोजगार मांगने के बजाय रोजगार सृजनकर्ता बनने का आह्वान किया और कहा कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के महामंत्री सुजीत सिंह भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने पांडेय को शुभकामनाएं दे उनका अंगवस्त्र भेंटकर सम्मान किया।

कलेक्टर का10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के नाम संदेश

बोले-पूरे आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ लिखे प्रश्नों के उत्तर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। कलेक्टर एस. जयवर्धन ने जिले के 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए संदेश दिया है। अपने संदेश में उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा है कि जिले में 20 फरवरी से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ प्रारंभ हो रही हैं। यह केवल परीक्षा देने का अवसर नहीं है, बल्कि आपके सपनों, संकल्पों और पूरे वर्ष की मेहनत को साकार करने का महत्वपूर्ण समय है। परीक्षा को किसी भी प्रकार के भय या तनाव से न जोड़ें। पूरे आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ प्रश्नों के उत्तर लिखें। अपनी तैयारी और क्षमता पर विश्वास रखें। याद रखें आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल स्वयं और अपने माता-पिता का नाम रोशन करेंगे, बल्कि जिले को भी गौरवान्वित करेंगे। खूब मन लगाकर पढ़ें, स्वस्थ रहें और पूरे आत्मबल के साथ परीक्षा दें। कलेक्टर ने बच्चो के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएँ दी है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी एरियर भुगतान लंबित

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल कुमदा सब एरिया में वर्षों तक सेवाएं दे चुके एवं वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारी अवधेश पांडेय के एरियर भुगतान का मामला अब प्रशासनिक लापरवाही और न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना के आरोपों के कारण सुर्खियों में आ गया है।

जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा अक्टूबर 2024 में स्पष्ट आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें संबंधित देय राशि के भुगतान का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद फरवरी 2026 तक भी एरियर का भुगतान नहीं किया जाना कई गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। सूत्रों के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से सेवानिवृत्त कर्मचारी लगातार एसईसीएल विश्रामपुर एरिया कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। हर बार उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि फाइल प्रक्रिया में है या उच्च स्तर से स्वीकृति लंबित है। आरोप है कि एपीएम एसईसीएल विश्रामपुर एरिया द्वारा भी बार-बार यही जवाब देकर मामले को टाल दिया जा रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद एरियर राशि किसी भी कर्मचारी के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार होती है। ऐसे में डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक भुगतान लंबित रहने से संबंधित कर्मचारी को आर्थिक संकट के साथ-साथ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। परिवार के भरण-पोषण, चिकित्सा खर्च और अन्य आवश्यकताओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है।

कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश पारित किया गया हो और उसके पालन में अनावश्यक विलंब किया जाए, तो यह न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में भी आ सकता है।

ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से भी जवाबदेह हो सकते हैं। यह मामला केवल एक कर्मचारी के एरियर भुगतान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक आदेशों के सम्मान का भी प्रश्न बन गया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर एसईसीएल विश्रामपुर एरिया के अधिकारियों के लिए हाईकोर्ट के आदेशों का कोई महत्व नहीं रह गया है, या फिर विभागीय स्तर पर फाइलों को जानबूझकर लंबित रखकर न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है।

परीक्षाएँ नहीं, सीखना है जीवन का लक्ष्य

आज के समय में परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच अत्यधिक चिंता और तनाव का वातावरण देखने को मिलता है। अक्सर अंकों को ही सफलता का एकमात्र मापदंड मान लिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि परीक्षाएँ जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण मात्र हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी परीक्षा पे चर्चाह्व जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि परीक्षा को बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा जाए। विद्यार्थियों को यह समझने की आवश्यकता है कि परीक्षा उनके ज्ञान, समझ और आत्मविश्वास को परखने का माध्यम है, न कि उनकी संपूर्ण क्षमता का अंतिम निर्णय। आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में केवल अच्छे अंक ही सफलता की गारंटी नहीं हैं। समय की मांग है कि विद्यार्थियों का ध्यान अंकों के साथ-साथ कौशल विकास पर भी केंद्रित हो। संचार कौशल, समस्या समाधान क्षमता, रचनात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क और तकनीकी दक्षता जैसे जीवन कौशल विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। नई शिक्षा नीति और सीबीएसई भी अब इसी दिशा में कार्य करते हुए अनुभवात्मक शिक्षण, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम और व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष बल दे रहे हैं। अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को केवल अधिक अंक लाने के दबाव में न रखें, बल्कि उनकी रुचियों और क्षमताओं को पहचानकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सीखने और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। वास्तव में, अंक सफलता का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन कौशल ही जीवन में स्थायी सफलता का आधार बनते हैं।

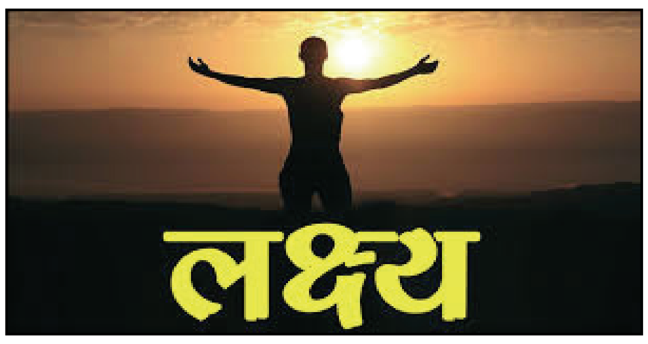

परीक्षा के समय विद्यार्थियों पर सबसे अधिक प्रभाव घर और विद्यालय के वातावरण का पड़ता है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की तुलना अन्य विद्यार्थियों से न करें। तुलना से आत्मविश्वास कम होता है और तनाव बढ़ता है। इसके स्थान पर बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनकी मेहनत की सराहना करें और सकारात्मक माहौल प्रदान करें।

विद्यालयों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे केवल परीक्षा परिणाम पर ही ध्यान न दें, बल्कि बच्चों के समग्र विकास पर कार्य करें। खेल, योग, ध्यान और सह-पाठयक्रम गतिविधियाँ विद्यार्थियों के मानसिक संतुलन और एकाग्रता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

आज के डिजिटल युग में विद्यार्थियों का काफी समय मोबाइल और सोशल मीडिया पर व्यतीत होता है, जो उनकी एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। परीक्षा के समय विशेष रूप से डिजिटल उपकरणों का सीमित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग आवश्यक है। संतुलित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, पौष्टिक आहार, नियमित अध्ययन, छोटे-छोटे ब्रेक, योग और ध्यान, विद्यार्थियों को तनावमुक्त और ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक होती है। नई शिक्षा नीति और सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली भी अब केवल रटने की प्रवृत्ति से आगे बढ़कर समझ, विश्लेषण, रचनात्मकता और व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दे रही है। इसलिए विद्यार्थियों को केवल अंक प्राप्त करने के बजाय विषय को समझने और जीवन में उसके उपयोग पर ध्यान देना चाहिए।

जीवन में सफलता केवल परीक्षा के अंकों से तय नहीं होती। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन, अनुशासन और निरंतर सीखने की आदत ही वास्तविक सफलता की कुंजी हैं। विद्यार्थियों की सफलता के लिए अभिभावक, शिक्षक और विद्यालय के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। यदि तीनों मिलकर बच्चों का मार्गदर्शन करें, उन्हें प्रेरित करें और उनका मनोबल बढ़ाएँ, तो कोई भी चुनौती कठिन नहीं रह जाती। परीक्षा जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। इसे डर या दबाव के रूप में नहीं, बल्कि सीखने, आत्ममूल्यांकन करने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि बच्चों को ऐसा वातावरण मिले जहाँ वे बिना भय के सीख सकें, सोच सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें।

आइए, हम सब मिलकर यह संदेश फैलाएँ,परीक्षा बोझ नहीं, अवसर है; अंक नहीं, सीख ही असली सफलता है।

प्रभाकर उपाध्याय
सीबीएसई सिटी कोऑर्डिनेटर,
प्राचार्य, एस.आर.व्ही.एम.
सूरजपुर, छत्तीसगढ़

अनोखे तरीके से सोना और गुल्लक लेकर एनएसयूआई ने किया माशिमं कार्यालय का घेराव

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। एनएसयूआई ने 10वीं और 12वीं परीक्षा शुल्क में वृद्धि के विरोध में माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) कार्यालय का घेराव कर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता घर का सोना, जमीन के कागजात और गुल्लक लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि सरकार की नीतियों के कारण छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी जमा-पूंजी तक तोड़नी पड़ रही है। एनएसयूआई ने 10वीं-12वीं परीक्षा फॉर्म की बढ़ी हुई फीस तत्काल वापस लेने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हेमंत पाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों से शिक्षा व्यवस्था संकट में है। उनका कहना है कि परीक्षा शुल्क में बेतहाशा वृद्धि से गरीब, मध्यमवर्गीय और ग्रामीण छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा, सरकार शिक्षा को अधिकार नहीं, व्यापार बना रही है। परीक्षा शुल्क बढ़ाकर गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।ह्व एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि शुल्क वृद्धि का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा। एनएसयूआई की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं: 10वीं और 12वीं परीक्षा फॉर्म की बढ़ी हुई फीस तत्काल प्रभाव से वापस ली जाए, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के बच्चों के शिक्षा अधिकार की रक्षा की जाए, शिक्षा को मुनाफे का माध्यम बनाने की नीति समाप्त की जाए।

हाई कोर्ट ने तीन जवानों की पदोन्नति याचिका पर डीजीपी को दिए दो महीने का समय

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुए बड़े एंटी-नक्सल ऑपरेशन में शामिल तीन पुलिस जवानों की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जस्टिस पी.पी. साहू की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि याचिकाकताओं के लंबित अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। इसके लिए दो महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

मामला क्या है

याचिकाकर्ता दीपक नायक, अग्नु राम कोर्राम और संगीत भास्कर वर्तमान में कांकेर जिले में पदस्थ हैं। याचिका में बताया गया कि 15 एवं 16 अप्रैल 2024 को कांकेर जिले के कालपर-हापाटोला-छेटेबेठिया क्षेत्र में बीएसएफ के साथ संयुक्त रूप से चलाए गए एंटी-नक्सल ऑपरेशन में वे भी शामिल थे। इस मुठभेड़ में 40-50 सशस्त्र माओवादियों से सामना हुआ था, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। इनमें 15 पुरुष और 14 महिला नक्सली शामिल थीं। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया था।

भेदभाव करते हुए लाभ से रखा गया वंचित

याचिकाकताओं ने कोर्ट को बताया कि इस सफल ऑपरेशन में कुल 187 पुलिसकर्मी शामिल थे, लेकिन राज्य सरकार ने पुलिस विनियम 70 (क) के तहत केवल 54 कर्मियों को ही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। शेष जवानों को इस लाभ से वंचित रखा गया, जिससे उनके साथ भेदभाव हुआ है। जवानों का कहना है कि उन्होंने भी समान परिस्थितियों में साहसिक भूमिका निभाई थी। उन्होंने 25 जून 2025 को पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जो अब तक लंबित है।

हाई कोर्ट ने दिया दो महीने का समय

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि मामला अभी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देशित किया कि वे याचिकाकताओं के अभ्यावेदन पर पुलिस विनियम 70 (क) के तहत विधिसम्मत और निष्पक्ष निर्णय लें। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभ्यावेदन का निराकरण दो महीने के भीतर किया जाए। इस आदेश के बाद अब निगाहें डीजीपी कार्यालय पर टिकी हैं, जहां से तय समय सीमा के भीतर निर्णय लिया जाना है।

हेरोइन बेचने की फिराक में घूम रहा आरक्षक पहुंचा जेल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। सूखे नशे के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर में पदस्थ आरक्षक हिमांशु बर्मन को प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिट्टा (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से लगभग 1 ग्राम चिट्टा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 हजार रुपये बताई जा रही है, बरामद किया गया है। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) संदीप कुमार पटेल के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार, 11 फरवरी को थाना टिकरापारा एवं आजाद चौक की संयुक्त पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि नीलकंठेश्वर मंदिर के पीछे मठपारा क्षेत्र में एक व्यक्ति एक्सिस वाहन क्रमांक सीजी-04-पीडब्लू-1372 में बैठकर चिट्टा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त न्यू राजेंद्र नगर नवनीत पाटिल एवं सहायक पुलिस आयुक्त आजाद चौक इशु अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा। पूछताछ और तलाशी के दौरान आरोपी की पहचान आरक्षक हिमांशु बर्मन (34 वर्ष), पिता चैतुराम बर्मन, निवासी ग्राम कुण्डा जिला कबीरधाम, वर्तमान पता जनता कॉलोनी पुलिस लाइन रायपुर के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास से प्लास्टिक की झिल्ली में रखा प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिट्टा बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 119/26 के तहत धारा 21 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की एंड-टू-एंड जांच की जा रही है और मादक पदार्थ के स्त्रोत से लेकर गंतव्य तक की पूरी कड़ी खंगाली जा रही है। इस प्रकरण में अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश जारी है।

सेक्स रैकेट चलाने वाले लॉज संचालक और महिला दलाल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भिलाई। एक लॉज में अनैतिक देह व्यापार के मामले का छावनी पुलिस ने पदार्फाश किया है। कार्रवाई के दौरान लॉज संचालक और एक महिला दलाल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से नकद राशि और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणि शंकर चंद्र ने बताया कि 9 फरवरी को सूचना मिली थी कि छावनी क्षेत्र स्थित छाया इन लॉज में दलाल के माध्यम से युवतियां उपलब्ध कराकर देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने वैधानिक प्रक्रिया के तहत एक प्वाइंटर ग्राहक बनाकर लॉज में भेजा और उसके बाद घेराबंदी कर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान यह सामने आया कि लॉज के मालिक और रिसेप्शनिस्ट की जानकारी में दलाल के जरिए युवतियां बुलाकर अनैतिक गतिविधि संचालित की जा रही थी। मौके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में थाना छावनी में अपराध क्रमांक 88/2026 दर्ज कर धारा 3, 4 और 7 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत कार्रवाई की गई है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा का संकल्प सम्मेलन सम्पन्न

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य एवं प्रखर राष्ट्रचिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर जिला भाजपा कार्यालय में संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य विषय वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक हेमंत नाग तथा वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान भाजपा नेताओं एवं कार्यकताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्य वक्ता हेमंत नाग ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवनवृत्त पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, संगठन निर्माण और वैचारिक स्पष्टता का अद्भुत उदाहरण है। ललन प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडिक दीनदयाल उपाध्याय का तपस्यापूर्ण जीवन देश की सेवा के लिए आजीवन समर्पित रहा। राष्ट्र के पुनर्निर्माण की उनकी विचारधारा सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के रूप में हमारा दायित्व है कि हम उनके विचारों को केवल स्मरण न करें, बल्कि उन्हें अपने आचरण और कार्यशैली में उतारें। भाजपा नेताओं और कार्यकताओं ने राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए एकात्म मानववाद और अंत्योदय के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया।

आईएसबीटी में अवैध टिकट काउंटर हटाने से यात्रियों को मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। रायपुर नगर निगम ने राजधानी के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल भाटागांव में संचालित अवैध टिकट काउंटर को पूर्ण रूप से हटा दिया है। यात्रियों के लिए यह काउंटर लंबे समय से परेशानी का कारण बने हुए थे। मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद निगम प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। खबरों के अनुसार भूतल पर जाली तरीके से संचालित यह टिकट काउंटर बिना लाइसेंस और बिना अनुमति के चल रहा था। त्योहारी सीजन में भारी भीड़ का फायदा उठाकर यहां यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा था। यात्रियों को न तो प्रिंट टिकट दिया जाता था और न ही मोबाइल पर कोई कन्फर्मेशन मैसेज भेजा जाता था।

वसूलते है मनमानी किराया

यात्रियों ने शिकायत की थी कि एक ही ट्रेवल्स की बस के लिए अलग-अलग काउंटरों पर अलग-अलग किराया बताया जाता था। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के लिए स्लीपर सीट का किराया 1400 रुपये और 5 प्रतिशत जीएसटी मिलाकर 1470 रुपये होना चाहिए, लेकिन कुछ काउंटरों पर 1650 से 1750 रुपये तक वसूले जा रहे थे। किराया अधिक होने पर आपत्ति जताने वाले यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें भी सामने आईं।

एजेंटों के पास नहीं है वैध लाइसेंस

सूत्रों के अनुसार, बस स्टैंड के गेट नंबर 1, 2 और 3 पर फर्जी एजेंट और हॉकर सक्रिय थे। ये एजेंट यात्रियों को घेरकर सीट दिलाने के नाम पर दबाव बनाते थे। कई मामलों में बदसलूकी और मारपीट तक की नौबत आने की बात भी सामने आई है। आरोप है कि ये एजेंट बिना अधिकृत पत्र और वैध लाइसेंस के टिकट बुकिंग कर रहे थे और जीएसटी के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूल रहे थे।

शासन को राजस्व हानि की आशंका

इस तरह की गतिविधियों से शासन को जीएसटी और राजस्व हानि होने की भी आशंका जताई गई है। चेकिंग के दौरान एजेंट यात्रियों को बस स्टैंड से दूर ले जाकर बसों में बैठा देते थे, ताकि कार्रवाई से बच सकें। स्थानीय नागरिकों और यात्रियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है और मांग की है कि भविष्य में भी नियमित जांच कर अवैध एजेंटों और काउंटरों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बस टर्मिनल पर यात्रियों को सुरक्षित और पारदर्शी सुविधा मिल सके।

सम्पादकीय

शहरों के विकास पर नए तरीके से सोचना होगा

देश में शहर तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन विकास की यह रफ्तार अब आम लोगों की जान और सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है। सड़कें, मॉल, दुकानें, सीवर और पानी की लाइनें सब कुछ बन रहा है, लेकिन बिना समुचित योजना, निगरानी और जवाबदेही के। नतीजा यह है कि शहरों में होने वाले हादसे अब अपवाद नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई बन चुके हैं। सवाल यह नहीं है कि हादसे क्यों हो रहे हैं, बल्कि यह है कि इन्हें रोकने के लिए जिम्मेदार कौन हैं और कब तक इस लापरवाही को दुर्घटना कहकर टाला जाता रहेगा। शहरों की बदहाल स्थिति के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अव्यवस्थित विकास मॉडल की है। सड़कों की खुदाई, निर्माणाधीन मॉल और दुकानों के आसपास खुले गड्ढे, बिना बैरिकेडिंग के चल रहा काम और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ये सभी सीधे तौर पर इंसानी जान से खिलवाड़ हैं। हाल के दिनों में सामने आई घटनाएं इस व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी हैं। नोएडा में पिछले महीने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत एक दर्दनाक उदाहरण है। निर्माणाधीन मॉल के पास बिना बैरिकेड और चेतावनी संकेतों के खुले, पानी से भरे गहरे गड्ढे में उनकी कार गिर गई। इंजीनियर ने खुद पुलिस को फोन कर मदद मांगी, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिली और उनकी जान चली गई। यह हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की असंवेदनशीलता और लापरवाही का नतीजा था। अब दिल्ली में भी ऐसी ही एक और भयावह घटना सामने आई, जहां 25 वर्षीय युवक रात में घर लौटते समय दिल्ली जल बोर्ड के पास करीब 4.5 मीटर गहरे गड्ढे में गिर गया। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि वह युवक करीब आठ घंटे तक गड्ढे में पड़ा तड़पता रहा, मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी या विभाग हरकत में नहीं आया। न चेतावनी बोर्ड थे, न बैरिकेडिंग और न ही निगरानी। यह गड्ढा सिर्फ सड़क में ही नहीं, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही में भी उतना ही गहरा था। जांच एजेंसियों ने इस मामले को महज दुर्घटना नहीं, बल्कि गंभीर और आपराधिक लापरवाही माना है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या महज कुछ गिरफ्तारियों से शहर सुरक्षित हो जाएंगे? शहरों की दुर्दशा का एक और पहलू बढ़ता प्रदूषण है। धूल, अव्यवस्थित ट्रैफिक, लगातार चल रहे निर्माण कार्य और सर्दियों में स्मॉग ने शहरों में सांस लेना तक मुश्किल कर दिया है। प्रदूषण और सड़क हादसे मिलकर हर साल हजारों जिंदगियों को लील रहे हैं। यह सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि शहरी नियोजन की विफलता का भी मुद्दा है। अब समय आ गया है कि सरकार और शहरी प्रशासन नए सिरे से सोचें। जैसे देशभर में बाईपास और राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया गया, वैसे ही शहरों के अंदरूनी ढांचे के लिए भी दीर्घकालिक और समग्र योजना बनाई जाए। आबादी के अनुपात में सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज और पानी की लाइनें विकसित हों। इंदौर जैसी घटनाएं, जहां पानी और सीवर की लाइनें एक साथ होने से लोगों की जान गई, यह बताती हैं कि बुनियादी सुविधाओं में तालमेल की कितनी कमी है। सबसे जरूरी है जवाबदेही तय करना। हर निर्माण कार्य के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी, नियमित निरीक्षण और सुरक्षा मानकों का सख्त पालन अनिवार्य होना चाहिए। खुले गड्ढे, अधूरे काम और लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। हादसे के बाद मुआवजा और जांच से ज्यादा जरूरी है हादसों को होने ही न देना। शहर तभी सच में विकसित कहलाएंगे, जब वहां रहने वाले लोग खुद को सुरक्षित व स्वस्थ महसूस करें।

संसद सत्र

अम्बरीष प्रजापति

जनता की उम्मीदों पर भारी पड़ता 'हंगामा'

भारतीय संसद भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है जहां से देश की नीति और नियति तय होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सत्र दर सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने का एक चिंताजनक चलन बढ़ा है। जब संसद की कार्यवाही बाधित होती है, तो यह केवल शोर-शराबा नहीं होता, बल्कि देश के विकास की गति पर ब्रेक होता है। 2026 में हाल ही के सत्र में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था लेकिन प्रधानमंत्री के बोलने से पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस सत्र में 3 फरवरी को 36 मिनट, 4 फरवरी को 30 मिनट और 5 फरवरी को सिर्फ 12 मिनट संसद चली। संसद सत्र को 6 दिन में 42 घंटे चलना था लेकिन मात्र 7 घंटे 69 मिनट ही चला। 34 घंटे 31 मिनट का समय हंगामे के कारण बर्बाद हो गए। संसद सत्र के इन 6 दिनों में 25 करोड़ 89 लाख रुपये फिजूल में अपव्यय हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार हर सत्र में जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतियों पर चर्चा के लिए तैयार रहती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष की ओर से लोकतांत्रिक चर्चा के बजाय 'हंगामे' को एक हथियार बना लिया गया है। संसद का बाधित होना केवल सरकार की कार्यवाही रोकना नहीं, बल्कि देश की प्रगति में रोड़ा अटकाना है। संसद की कार्यवाही का बार-बार स्थगित होना अब एक सामान्य प्रक्रिया बनती जा रही है, लेकिन इसके पीछे छिपे आर्थिक और विधायी नुकसान इतने गहरे हैं कि वे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। संसद के हालिया सत्रों के आंकड़े बताते हैं कि जब सदन में संवाद होता है तो जनहित के कार्य सार्थक होते है, लेकिन गतिरोध होने पर जनता के करोड़ों रुपये और सैकड़ों घंटे पानी में बह जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सत्र के दौरान संसद चलाने का अनुमानित खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट तक आता है। यदि पूरा एक दिन हंगामे की भेंट चढ़ता है तो लगभग 8 से 9 करोड़ का सार्वजनिक धन बर्बाद हो जाता है। सोचने वाली बात है, यही पैसा जो स्कूल, अस्पताल या बुनियादी ढांचे के निर्माण में खर्च हो सकता था, लेकिन हंगामे के कारण जनता का पैसा बिना किसी कार्य के बर्बाद हो रहा है। बीते संसद सत्रों में भी ऐसा कुछ हाल रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बजट सत्र 2024 में लोकसभा में 123%, राज्यसभा में 110% बजट पर चर्चा हुई। मानसून सत्र 2025 में लोकसभा में 29%, राज्यसभा में 34% चर्चा हुई। शीतकालीन सत्र 2025 में लोकसभा में 111%, राज्यसभा में 121% चर्चा हुई। हंगामे के कारण करीब दो-तिहाई समय बर्बाद हुआ। प्रश्नकाल के दौरान मानसून सत्र 2025 में लोकसभा में केवल 23% और राज्यसभा में मात्र 6% प्रश्नकाल का उपयोग हो पाया। इसका अर्थ है कि जनता के 100 में से 90 से ज्यादा सवालों के जवाब मंत्रियों को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मानसून सत्र 2025 में निर्धारित घंटों का लगभग 70% समय शोर-शराबे और स्थगन की भेंट चढ़ गया। लोकतंत्र में संसद वह स्थान है जहां सुझाव दिए जाते हैं और कमियां बताई जाती हैं। सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने बजट सत्र 2024 और शीतकालीन सत्र 2025 में रिकॉर्ड बिल पेश किए, लेकिन विपक्ष ने चर्चा में भाग लेने की बजाय वेल में आकर नारेबाजी करना बेहतर समझा। ऐसे ही मानसून सत्र में हंगामे के बीच 8 विधेयक बिना किसी विस्तृत चर्चा के पारित हो गए। पक्ष व विपक्ष आपस में एक दूसरे को दोष देना मात्र ही समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए संसद में सार्थक बदलाव की आवश्यकता हैं। कार्यवाही का अनिवार्य समय तय हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 'जितने घंटे हंगामे में बर्बाद हों, सदन उतनी ही देर अतिरिक्त चले' और सदन स्थगन होने पर सत्र पर होने वाला खर्च संसद सदस्यों के वेतन भत्ता से कटौती करने पर विचार किया जाना चाहिए। सदन की गरिमा भंग करने वाले सदस्यों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। सत्र के दौरान पक्ष व विपक्ष की तरफ से आरोप-प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए, बल्कि आरोप-प्रत्यारोप के लिए दिन निर्धारित करने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए ताकि संसद सत्र सुचारु रूप से चल सके। सरकार को भी विपक्ष की मांगों को सुनने के लिए उदारता दिखानी चाहिए ताकि टकराव की स्थिति न बने। संसद केवल ईंट-पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं का केंद्र है। लोकतंत्र संवाद से चलता है, गतिरोध से नहीं। बार-बार का व्यवधान न केवल वित्तीय बर्बादी है, बल्कि इससे जनता का लोकतंत्र पर भरोसा कम भी होता है। सरकार की प्राथमिकता हमेशा 'राष्ट्र प्रथम' रही है। विपक्ष को चाहिए कि वह विरोध करने की राजनीति छोड़कर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बने।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लाल आतंक से मुक्ति की ओर बढ़ रहा देश

नक्सलवाद

रोहित माहेश्वरी

देश का 90 प्रतिशत क्षेत्र पहले ही नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। पिछले 11 वर्षों में, केंद्र सरकार की समन्वित, बहुआयामी रणनीति, जिसमें सुनियोजित सुरक्षा अभियान, अभूतपूर्व अवसंरचना विकास, वित्तीय दबाव, तीव्र विकास और एक आकर्षक आत्मसमर्पण नीति शामिल है, ने वामपंथी उग्रवाद को 2014 में 126 जिलों से घटाकर 2025 में मात्र 11 जिलों तक सीमित कर दिया है। कभी नक्सलियों के अभेद किले के रूप में जाने जाने वाला नेशनल पार्क एनकाउंटर जोन बनता जा रहा है। अब सुरक्षाबलों के कैंप बन जाने के बाद यहां से लाल आतंक के पैर उखड़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान को चलाने वाले बड़े नक्सली बचे ही नहीं हैं। अब पूरा नक्सली संगठन ही नेतृत्व विहीन हो चुका है।

जिस तरीके से पूरे देश में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, उससे एक बात साफ है कि केंद्र की मोदी सरकार पूर्ण दृढ़ संकल्प और शपथ के जिस पथ को लेकर चल रही थी, उसमें एक मजबूत रणनीति अब दिखने लगी है। केंद्र सरकार ने इस साल 31 मार्च तक लाल आतंक को खत्म करने की समय सीमा तय कर रखी है। जो पूरी होती दिखने लगी है। देश का 90 प्रतिशत क्षेत्र पहले ही नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुई नक्सलवाद की समस्या ने दशकों तक लाखों निर्दोष लोगों और सुरक्षाकर्मियों की जान ली और कई क्षेत्रों को विकास से वंचित रखा। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एक ठोस और प्रभावी रणनीति अपनाई।

पिछले 11 वर्षों में, केंद्र सरकार की समन्वित, बहुआयामी रणनीति, जिसमें सुनियोजित सुरक्षा अभियान, अभूतपूर्व अवसंरचना विकास, वित्तीय दबाव, तीव्र विकास और एक आकर्षक आत्मसमर्पण नीति शामिल है, ने वामपंथी उग्रवाद को 2014 में 126 जिलों से घटाकर 2025 में मात्र 11 जिलों तक सीमित कर दिया है, जिनमें से केवल तीन ही सबसे अधिक प्रभावित बचे हैं, जो लाल गलियारे के लगभग खात्मे का संकेत है। अकेले साल 2025 में, 317 नक्सलियों शीर्ष नेतृत्व सहित को मार गिराया गया, 800 से अधिक को गिरफ्तार किया गया और लगभग 2,000 ने आत्मसमर्पण किया, जिससे नक्सलियों को अब तक की सबसे बड़ी क्षति मिली और मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत की ओर तेजी से प्रगति हुई। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बस्तर संभाग नक्सल प्रभावित है। इसमें सात जिले शामिल हैं। ये जिले महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ सीमा साझा करते हैं, और लंबे समय से इसे माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ माने जाते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान तेज हुए हैं, जिससे नक्सलवाद पर तगड़ा प्रहार हुआ है।

छत्तीसगढ़ में साल 2024 से अब तक सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशवा राव उर्फ बसवराजू जैसे टॉप नक्सल लीडर सहित 500 से अधिक नक्सलियों को फोर्स ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ में 23 माओवादी मारे जा चुके हैं। तीन जनवरी को, बस्तर क्षेत्र में दो मुठभेड़ में कुल 14 माओवादी मारे गए थे। जिस तरह से आत्मसमर्पण को लेकर नक्सलियों की संख्या बढ़ी है, उससे एक बात साफ है कि नक्सलियों के भीतर इस बात का भय बैठ गया है, कि 31 मार्च तक आत्मसमर्पण नहीं किया गया तो सरकार किसी तरह के समझौते के मूड में अब नहीं है। इसका परिणाम भी दिखा है। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे माओवादी कमांडर जो यहां रहे वे सभी मारे गए हैं। हिड़मा से लेकर जिन लोगों को भी छत्तीसगढ़ में कमान दी गई थी, या तो वह राज्य छोड़कर चले गए या फिर न्यूट्रलाइज हुए हैं। बचे हुए कैडर के पास अब इतनी क्षमता नहीं बची, कि वो नक्सल अभियान को आगे लेकर चल सकें। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए नेशनल पार्क का 2799 वर्ग किलोमीटर का इलाका सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर इलाका घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा है। माओवादी इसे अपने कॉरिडोर के रूप में उपयोग करते थे, यह भी कहा जा सकता है, कि यह इलाका नक्सलियों

का सबसे अभेद दुर्ग वाला इलाका रहा है। कभी नक्सलियों के अभेद किले के रूप में जाने जाने वाला नेशनल पार्क एनकाउंटर जोन बनता जा रहा है। अब सुरक्षाबलों के कैंप बन जाने के बाद यहां से लाल आतंक के पैर उखड़ने लगे हैं। साल 2025 के बाद जिस नक्सल अभियान को चलाया गया उसमें यह बात तय की गई, कि मानसून के मौसम में भी इस अभियान को नहीं रोका जाएगा। नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर चलाए जा रहे अभियान में हेलीकॉप्टर मिल जाने के बाद सुरक्षाबलों को बहुत सहूलियत मिल गई। मॉनिटरिंग भी तेज हो गई।

नेशनल पार्क इलाके में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर फोर्स तैनात होने के साथ ही सुरक्षा बलों ने कैंप खोल दिए, जिससे फोर्स की गतिविधियां तेज हो गईं। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली एनकाउंटर और उसमें जिस तरीके के नक्सली मारे गए, उसके बाद छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान को चलाने वाले बड़े नक्सली बचे ही नहीं हैं। जो भी नक्सली छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन को दिशा देते थे, उसके लिए रणनीति बनाते थे, उन तमाम नक्सलियों को या तो न्यूट्रलाइज किया गया या फिर कई ऐसे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अब पूरा नक्सली संगठन ही नेतृत्व विहीन हो चुका है। यह एक बड़ी वजह है कि 60 दिनों के भीतर इसे पूरे तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने एनआईए में एक समर्पित विभाग बनाकर नक्सलियों के वित्तपोषण पर प्रभावी ढंग से लगाम लगा दी है। इस विभाग ने 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जबकि राज्यों ने भी 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है और प्रवर्तन निदेशालय ने 12 करोड़ रुपये कुर्क किए हैं। इस एक साथ की गई कार्रवाई से शहरी नक्सलियों को गंभीर नैतिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंची है और उनके सूचना युद्ध नेटवर्क पर नियंत्रण और भी कड़ा हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के नक्सल मुक्त करने को लेकर बनी रणनीति में राज्यों के बीच समन्वय मजबूत आधार बना। राज्यों के बीच आपसी तालमेल नहीं होना नक्सलियों के सफल होने का एक कारण होता था। नक्सलियों को समाप्त करने को लेकर जब रणनीति तैयार होनी शुरू हुई, तो उसके लिए पहली लाइन समन्वय की बनाई गई, ताकि इस अभियान को बल मिले। बीती 8 फरवरी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई एक विशेष कॉन्क्लेव के दौरान शाह ने माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की पुरजोर अपील की।

भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क और मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करके बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत किया है, जिससे पहुंच, सुरक्षा प्रतिक्रिया और सामाजिक-आर्थिक एकीकरण में सुधार हुआ है। मई 2014 से अगस्त 2025 तक, केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, जबकि कुल 17,589 किलोमीटर की परियोजनाओं को 20,815 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया गया है। इन सबके बीच नक्सलवाद के खत्म होने के बाद विकास की जिस बुनियाद को जमीन पर उतरना है, वह बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उन सरेंडर नक्सलियों की है जिन्होंने सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण किए हैं। उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़े रखना बड़ी चुनौती है। यहां शासकीय कमजोरी या प्रशासनिक ढांचे की लचर व्यवस्था की कोई भी छाप इस अभियान को फेल करने की बड़ी वजह बन सकता है। इसमें सबसे जरूरी है आम सुविधाओं का विस्तार और जो लोग सरकार की व्यवस्था पर भरोसा करके आए हैं, उस भरोसे को कायम रखने के सरकार के वैसे निर्णय जो सिर्फ विकास के लिए जाने जाते हैं, सबसे बड़ी चुनौती हैं। वास्तव में, देश से नक्सलवाद का खत्म होना विकासवाद की उस अवधारणा की पहली कुंजी है, जिससे भारत पूरे विश्व के फलक पर एकजुट होकर सिर्फ विकास की लड़ाई लड़ेगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु व आकाश को मिला है देवता का दर्जा

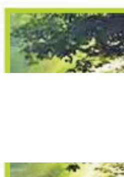

संकलित

दर्शन

प्रदूषण की विनाशलीला को देखते हुए भारतीय ऋषियों ने कदम-कदम पर मानव को सजग किया है। चूंकि मनुष्य पंचमहाभूतों का समन्वय रूप है इसलिए सबसे पहले आध्यात्मिक महापुरुषों ने इसे जन्म से लेकर मृत्यु तक के अलग-अलग संस्कारों के साथ जोड़ दिया, ताकि मां के गर्भ में आने से लेकर सौ वर्ष तक वह अदैन्य भाव में जी सके। सबसे पहले भारतीय ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम् की जो परिकल्पना की, उसमें नख से लेकर शिख तक पूरा शरीर एक वसुधा (धरती) के समान है। शरीर के किसी भी हिस्से में तकलीफ है तो यह शरीर रूपी विश्व को प्रभावित करेगी। इसके अलावा मनुष्य के जीने के जितने भी स्नेत हैं, वे सभी कुटुंब के सदस्यों की तरह हैं। जिसे 'क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा' से समझा जा सकता है। शरीर का आंतरिक हिस्सा चूंकि अधम है इसलिए वाह्य प्रकृति से उत्तमोत्तम पदार्थ ग्रहण कर उसके स्वरूप को और अधिक विकृत होने से बचाया जाना नितांत जरूरी है। इसीलिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सबको देवता का दर्जा दिया गया। द्वापर युग के महानायक भगवान श्रीकृष्ण का पूरा जीवन ही प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष और जन जागरण का है। उम्र की परवाह न कर वह यमुना के प्रदूषित तत्व कालिया नाग का वध, प्रदूषित अग्नि लगाने वाले प्रलंबासुर का वध, अंतरिक्ष को शुद्ध करने के लिए व्योमासुर का वध, धरती की शुद्धता के लिए गो पालन करते हैं। त्रेता युग में रावण ने भी खर और दूषण नामक पर्यावरण-शत्रु तैनात किया था।

मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए

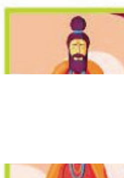

संकलित

प्रेरणा

एक बार एक संत ने अपने दो भक्तों को बुलाया और कहा आप को यहां से पचास कोस जाना है। एक भक्त को एक बोरी खाने के समान से भर कर दी और कहा- जो लायक मिले उसे देते जाना। और एक को खाली बोरी दी उससे कहा रास्ते में जो उसे अच्छा मिले उसे बोरी में भर कर ले जाए। दोनों निकल पड़े जिसके कंधे पर समान था वो धीरे चल पा रहा था। खाली बोरी वाला भक्त आराम से जा रहा था। थोड़ी दूर उसको एक सोने की ईंट मिली उसने उसे बोरी में डाल लिया। थोड़ी दूर चला फिर ईंट मिली उसे भी उठा लिया। जैसे-जैसे चलता गया उसे सोना मिलता गया और वो बोरी में भरता हुआ चल रहा था। और बोरी का वजन बढ़ता गया उसका चलना मुश्किल होता गया और सांस भी चढ़ने लग गई। एक-एक कदम आगे चलना कठिन होता गया। दूसरा भक्त जैसे-जैसे चलता गया रास्ते में जो भी मिलता उसको बोरी में से खाने का कुछ समान देता गया धीरे-धीरे बोरी का वजन कम होता गया। और उसका चलना आसान होता गया। जो बांटता गया उसका गंतव्य स्थान तक पहुंचना आसान होता गया। और जो लालच में आकर इकट्ठा करता रहा वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। हम सभी को अब ये सोचना चाहिए कि हमने जीवन में क्या बांटा और क्या इकट्ठा किया हम मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे, आखिर लालच ही बुरी बला है।

बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढका

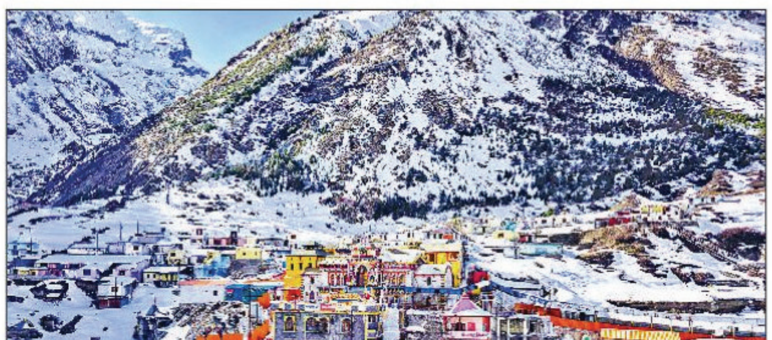

उत्तराखंड के चमोली जिले में सोमवार को हुई ताजा बर्फबारी के बाद बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बद्रीनाथ धाम दिख रहा है।

आज की पाती

जीव-जंतु व वनस्पति की सुरक्षा जरूरी

जीव-जंतु व वनस्पति की सुरक्षा जरूरी आध्यात्मिक, सामाजिक, प्राकृतिक व किसी भी रूप से किसी भी जानवर और वनस्पति को नष्ट करना वर्जित है। विशेषकर वन और मनुष्य एक दूसरे के पर्याय ही हैं। इसलिए जल, जंगल व जमीन की निरंतर सुरक्षा और संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। प्रदेश के सम्पूर्ण प्राणिजात व वनस्पतिजात (फ्लोरा एंड फौना) का पूर्ण संरक्षण और संवर्धन निश्चित रूप से अनिवार्य है। जिस प्रकार हमारे सारे वातावरण में प्रत्येक पेड़-पौधे, जड़ी-बूटी का होना प्राकृतिक रूप से अनिवार्य है, उसी प्रकार छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जंगली जानवरों की उपस्थिति भी बहुत ही आवश्यक है। यह सत्य है कि हमने ही जंगली जानवरों के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ कर दी है।

- रमेश सरकार, भाटापारा

करंट अफेयर

सिंगापुर में तमिल समाचार पत्र 'प्रस्तोता' पुरस्कृत

सिंगापुर की समाचार प्रस्तोता पावलाकंथम अजहागरसामी को देश में तमिल प्रसारण पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए मीडियाकॉर्प के 'प्रधान विझा 2026' में 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार तमिल प्रसारण पत्रकारिता में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देता है। उनका करियर चार दशकों से भी अधिक समय का है और उन्होंने सिंगापुर के मीडिया जगत पर अमिट छाप छोड़ी है। सिंगापुर के सरकारी स्वामित्व वाले मीडिया समूह 'मीडियाकॉर्प' ने रविवार को जारी एक समाचार विज्ञप्ति में बताया कि यह पुरस्कार वार्षिक समारोह के 21वें संस्करण के दौरान प्रदान किया गया जो सिंगापुर के भारतीय मनोरंजन जगत में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है। सिंगापुर के राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क ने कहा, 'एक सम्मानित समाचार प्रस्तोता, मार्गदर्शक और उद्योग की मजबूत स्तंभ के रूप में चार दशकों से अधिक लंबे करियर में पावलाकंथम ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। वह आज भी रेडियो और टेलीविजन उद्योग में तमिल मीडिया पेशेवरों की नयी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती हैं।' शनिवार को मीडियाकॉर्प के थिएटर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदर्शन और कार्यक्रम श्रेणियों के तहत कुल 19 पुरस्कार दिए गए।

ऑफ बीट

बायोएक्टिव ही सब्जियों के कड़वे स्वाद का कारण

यह विकास की एक दुर्भाग्यपूर्ण विचित्रता है कि सब्जियाँ हमारे लिए बहुत अच्छी हैं लेकिन वे हम सभी के लिए तुरंत स्वादिष्ट नहीं होती हैं। हम उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों के मीठे या उम्दा स्वाद का आनंद लेने के लिए विकसित हुए हैं, क्योंकि भुखमरी दीर्घकालिक स्वास्थ्य की तुलना में अधिक तात्कालिक जोखिम है। सब्जियाँ विशेष रूप से उच्च ऊर्जा वाली नहीं होती हैं, लेकिन वे आहार फाइबर, विटामिन और खनिजों और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले यौगिकों से भरपूर होती हैं जिन्हें बायोएक्टिव कहा जाता है। ये बायोएक्टिव ही सब्जियों के कड़वे स्वाद का कारण बनते हैं। पादप बायोएक्टिव, जिन्हें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, पौधों द्वारा पर्यावरणीय तनाव और शिकारियों से खुद को बचाने के लिए बनाए जाते हैं। वही चीज़ें जो पौधों के खाद्य पदार्थों को कड़वा बनाती हैं, वही चीज़ें उन्हें हमारे लिए अच्छा बनाती हैं। दुर्भाग्य से, कड़वा स्वाद हमें जहरों से और संभवतः एक ही पौधे को अधिक खाने से बचाने के लिए विकसित हुआ, तो एक तरह से, पादप खाद्य पदार्थों का स्वाद जहर जैसा हो सकता है। हममें से कुछ के लिए, यह कड़वी अनुभूति विशेष रूप से तीव्र है, और दूसरों के लिए यह इतनी बुरी नहीं है। यह आंशिक रूप से हमारे जीन के कारण है।

ट्रेंड

विश्वास की परंपराएं मजबूत

भारत और सेशेल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। इसके तटों पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा, संस्कृतियां मिली और विश्वास की परंपराएं मजबूत होती गईं।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

वैश्विक पहचान पा रहा बस्तर

नक्सलियों ने जिस बस्तर को सदियों तक आईईडी और बारूदों के अंधकार में झोंक रखा था, मोदी जी के नेतृत्व में वहां की कला, संस्कृति, खान-पान और विरासत वैश्विक पहचान पा रही है। जगदलपुर में 'बस्तर पंडुम' में जनजातीय कला व संस्कृति की समृद्ध विरासत को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन किया। **-अमित शाह,** गृहमंत्री

यूएस से तेल खरीद हमारे हित में

अमेरिका से तेल या एलएनजी, एलपीजी की खरीद भारत के अपने रणनीतिक हित में है, क्योंकि हम अपने तेल स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। 'ट्रेड डील में यह तय नहीं होता है कि कौन किससे और क्या खरीदेगा। ट्रेड डील व्यापार के रास्ते को आसान बनाता है।
-पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री

किताब छप चुकी

रक्षा मंत्री ने गलत कहा कि किताब छपी नहीं है, जबकि वह छप चुकी है। राष्ट्रपति के भाषण पर भी एलओपी और विपक्ष को बोलने नही दिया गया। सत्तापक्ष के सदस्य ने कई किताबें कोट कर आपत्तिजनक बातें कहीं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नही हुई। **-राहुल गांधी,** नेता विपक्ष

अमेरिकी टैरिफ में कटौती के बाद रूस से तेल खरीद पर भारत ने नहीं खोले अपने पत्ते

अपनी ऊर्जा जरूरतों को विविध स्रोतों से पूरा करेगा भारत, विदेश मंत्रालय ने दिए संकेत

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 फरवरी को भारत से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने की सहमति दी है। इसके अलावा, उन्होंने 6 फरवरी को रूसी तेल के निरंतर आयात को लेकर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को भी हटा दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने पर सहमति जताई है। यह कदम अमेरिका की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह रूस की तेल से होने वाली कमाई को पूरी तरह से सुखाना चाहता है ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए उसकी फंडिंग रोकी जा सके।

हालांकि, इस मुद्दे पर अभी तक एक विरोधाभासी स्थिति बनी हुई है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि पीएम मोदी रूसी तेल रोकने पर सहमत हो गए हैं, वहीं पीएम मोदी ने खुद इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में कहा कि इस पर जवाब विदेश मंत्रालय की ओर से आएगा। वहीं, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि वे शायद यह पूछे जाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कूटनीतिक जवाब देते हुए कहा कि भारत की रणनीति 'बाजार की वस्तुनिष्ठ स्थितियों के आधार पर अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने' की है। इसका मतलब है कि भारत अपने हितों के अनुसार फैसला लेगा। वहीं, डेटा फर्म केप्लर का मानना है कि भारत निकट भविष्य में सस्ते रूसी ऊर्जा स्रोतों से पूरी तरह अलग नहीं होने वाला है।

भारत अपने हितों के अनुसार फैसला लेता रहेगा

राष्ट्रपति ट्रंप व पीएम मोदी फाइल फोटो

रूसी तेल की शिपमेंट में कमी आई

हालिया आंकड़ों में गिरावट साफ दिखाई दे रही है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में रूसी तेल की शिपमेंट में पिछले कुछ हफ्तों में कमी आई है। यह आंकड़ा अक्टूबर में 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर दिसंबर में 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है। यह गिरावट दर्शाती है कि अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों का असर व्यापारिक निर्णयों पर पड़ रहा है।

भारत में अमेरिका के राजदूत की स्वागत पार्टी

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अपने आवास पर एक स्वागत पार्टी रखी। इस पार्टी में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि भारत में अमेरिकी दूतावास में सर्जियो गोर के वेलकम रिसेप्शन में शामिल होकर बहुत खुशी हुई। मुझे विश्वास है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के साथ भारत-अमेरिका साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। इस रिसेप्शन में भारत के दोस्तों, डिप्लोमैटिक समुदाय के सदस्यों, बिजनेस लीडर्स और अमेरिकी साझेदार शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल के साथ 75 से ज्यादा अन्य राजदूत भी मौजूद थे।

दोनों देशों के बीच अनगिनत संभावनाएंः सर्जियो गोर

सर्जियो गोर ने 'एक्स' पर लिखा कि भारत और अमेरिका के नए ट्रेड फ्रेमवर्क और गहरे होते

रणनीतिक संबंधों के बीच, असली जादू इन व्यक्तिगत पलों में होता है, जहां भरोसा, विचार और साझा भविष्य आकार लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच अनगिनत संभावनाओं के लिए! व्हाइट हाउस भारत पर ध्यान दे रहा है। हमारे राष्ट्रपति भारत पर ध्यान दे रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती की वजह से हम आखिरकार ट्रेड डील कर पाए।

अमेरिकी बाजार में बढ़ेगी भारत की पहुंच

भारत और अमेरबीच हुए नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बाद भारत को अमेरिका के लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर के विशाल बाजार में विशेष और आसान पहुंच मिली है। यह समझौता भारत की अर्थव्यवस्था, निर्यात और रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समझौते के बाद कई सेक्टर में टैक्स को घटाकर लगभग 18 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं कुछ उत्पाद ऐसे भी हैं जिन पर अमेरिका ने पूरी तरह टैक्स खत्म कर दिया है। अब भारतीय सामान अमेरिका में पहले से सस्ता होगा और उसकी मांग बढ़ सकती है। भारत का अमेरिका को निर्यात पहले से ही मजबूत रहा है। वर्ष 2024 में भारत का अमेरिका को कुल निर्यात लगभग 86.35 बिलियन डॉलर रहा। अब इस नए समझौते के बाद भारतीय कंपनियों को अमेरिका में और ज्यादा व्यापार करने का मौका मिलेगा। इससे भारत के कई बड़े और छोटे उद्योगों को फायदा होगा।

भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार

कनाडा की एनएसए से मिले अजित डोभाल, साझा योजना पर 'सहमत'

नताली ड्रौइन और अजित डोभाल

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भारत और कनाडा ने तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। पिछले हफ्ते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने ओटावा का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कनाडा की एनएसए नताली ड्रौइन से मुलाकात की थी। दोनों के बीच हुई इस मीटिंग में भारत और कनाडा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा मुद्दों पर सूचना साझाकरण पर सहयोग को औपचारिक रूप देने के साथ-साथ घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप धोखाधड़ी और आव्रजन प्रवर्तन से संबंधित सहयोग पर चर्चा जारी रखने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। बता दें, साल 2023 में भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव आ गया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हुई चर्चा

रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ओटावा में कनाडा के पीएम की उप सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नताली ड्रौइन से मुलाकात की थी। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने अपने देशों और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई पहलों पर हुई प्रगति को स्वीकार किया है। दोनों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग का मार्गदर्शन करने और संबंधित प्राथमिकताओं पर व्यावहारिक सहयोग को लेकर एक साझा कार्य योजना पर सहमति जताई है। बैठक के दौरान यह भी सहमति बनी है कि प्रत्येक देश सुरक्षा और कानून प्रवर्तन संपर्क अधिकारी नियुक्त करेगा और उनकी संबंधित एजेंसियां कामकाजी संबंधों को और अधिक मजबूत करेंगी। विदेश मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि दोनों देश एक-दूसरे के देशों में सुरक्षा संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी सहमत हुए हैं।

खालिस्तानी समूहों का उठाया मुद्दा

अजीत डोभाल और उनके कनाडाई समकक्ष ने उत्तरी अमेरिकी देश में सक्रिय खालिस्तानी समूहों के मुद्दे पर भी चर्चा की। डोभाल ने प्रवासी समुदाय के भीतर चरमपंथी चंदा जुटाने, धमकियों और दुष्प्रचार से जुड़े मामले, दस्तावेजों की धोखाधड़ी और भारत को निशाना बनाने वाले जबरन वसूली के मुद्दे पर भी चर्चा की। अजीत डोभाल की ड्रौइन और कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसंगरी के साथ भी बातचीत हुई। कनाडाई सरकार ने स्वीकार किया है कि भारत को टारगेट बनाया जा रहा है।

रोरवा गाँव में खुली नाली दे रहा है हादसों को न्यौता, लोगों के लिए बना परेशानी का सबब

कोन / सोनभद्र - नवसृजित विकास खण्ड कोन के ग्राम पंचायत रोरवा में इन दिनों लोक वित्त / राज्य वित्त / मनरेगा के मामले सहित भ्रष्टाचार में अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। स्थानीय जानकारों का कहना है कि ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर प्रधान / प्रधान प्रतिनिधि व तत्कालीन सचिव द्वारा करोड़ों रुपये का बंदबाँट किया है जिसके क्रम में जिले के संबंधित अधिकारियों को शपथ पत्र देकर पूर्व में अवगत कराया जा चुका है जिसके क्रम में जिले से जाँच कमेटी गठित की गई है लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

ब्रिटेन जा पहुंची एप्स्टीन फाइल्स की आंच

पीएम स्टार्मर ने इस्तीफा देने से किया इनकार, कहा- मुझे 'जनादेश' मिला

एजेंसी ▶▶ लंदन

अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रहे पीटर मैंडलसन और यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन के संबंधों का खुलासा होने के बाद 19 महीने पुरानी ब्रिटिश सरकार के लिए एक गंभीर संकट पैदा होने के बीच पीएम केअर स्टार्मर ने कहा कि वह अपने पद पर बने रहेंगे। अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत रहे पीटर मैंडलसन और अपराधी जेफ्री एप्स्टीन के संबंधों का खुलासा होने के बाद ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। वह लेबर पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह महज डेढ़ साल के कार्यकाल के बाद उन्हें पद से न हटाए। मैंडलसन को इस उच्च पदस्थ राजनयिक पद पर नियुक्त करने के निर्णय को लेकर पीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

लेबर पार्टी ने मांगा इस्तीफा

पीएम कीर स्टार्मर

उनकी मध्य-वामपंथी लेबर पार्टी के कुछ सांसदों ने 2024 में पीटर मैंडलसन को राजनयिक नियुक्त करने के उनके फैसले के लिए उनसे इस्तीफा देने का आह्वान किया है। स्कॉटलैंड में लेबर पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता अनस सरवर ने भी पीएम स्टार्मर से इस्तीफा देने की मांग की है। सरवर ने कहा कि ध्यान भटकाने वाली चीजें बंद होनी चाहिए और डाउनिंग स्ट्रीट में नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। ब्रिटेन में डाउनिंग स्ट्रीट पर ही पीएम आवास है। स्टार्मर के चीफ ऑफ स्टाफ और उनके संचार निदेशक ने भी इस्तीफा दे दिया है।

जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा

पीएम के कार्यालय ने कहा कि स्टार्मर का पद छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। स्टार्मर ने संसद में लेबर पार्टी के सांसदों से कहा कि मैंने आज तक जितने भी संघर्ष किए हैं, उन सबमें जीत हासिल की है। मैं अपने जनादेश और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं हूं।

मिशन शक्ति के अंतर्गत सोनभद्र पुलिस का व्यापक महिला-बालिका जागरूकता अभियान

सोनभद्र। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपद सोनभद्र में व्यापक एवं प्रभावी जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया। अभियान के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा, सतर्कता एवं आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०/अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण ग्राम सहनपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक भारतेन्दु सिंह आ० अजित कुमार सिंह, जाति क्षत्रिय, निवासी ग्राम सहनपुर, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर), जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम सहनपुर, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) स्थित खसरा नंबर 170 रकबा 1.542 हे0 में से रकबा 0.080 हे० भूमि को कृषि भिन्न से व्यवसायिक प्रयोजन व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, रजिस्ट्री इत्यादि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है. जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 18/02/2026 को मेरे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।आज दिनांक 09/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) धौरपुर,

न्यायालय तहसीलदार, पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ०ग०)

रा०मा०क्र०/202602030900010/ल-6/2025-28

ग्राम-पत्थलगांव, तहसील पत्थलगाय

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम पत्थलगांव को सूचित किया जाता है, कि आवेदक भूपेन्द्र पाल सिंह भाटिया एवं अन्य 07 सभी जाति सिक्या निवासी ग्राम दयालबंद तहसील/जिला-बिलासपुर (छ०ग०) के द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ० ग०भू०रा०संहिता 1959 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि आवेदकगण के ग्राम पत्थलगांव, प०ह०नं० 06 में स्थित दो खातों की भूमि ख०न० 385 रकबा 1.449 हे० एवं ख०न० 304/1/घ रकबा 0.101 हे० भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। आवेदकगण के पिता/पति स्व० सुरजीत सिंह भाटिया के द्वारा अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति को अपने जीवनकाल में दिनांक 30.12.2020 को दो गवाहों की उपस्थिति में आवेदक क्रमांक-01 एवं 02 भूपेन्द्रपाल सिंह भाटिया एवं गुरुशरण सिंह भाटिया के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है।वसीयतकर्ता/आवेदकगण के पिता सुरजीत सिंह भाटिया की मृत्यु दिनांक 03.12.2021 जिसके अनुसार ग्राम-पत्थलगांव, प०ह०नं० 06, रा०नि०म० /तहसील-पत्थलगांव जिला-जशपुर (छ०ग०) स्थित दोनों खातों की भूमि को आवेदक क्रमांक 01 एवं 02 भूपेन्द्रपाल सिंह भाटिया एवं गुरुशरण सिंह पिता सुरजीत सिंह भाटिया दोनों जाति सिक्ख निवासी ग्राम दयालबंद तहसील/जिला-जशपुर (छ०ग०) को दिया है। खाता क्रमांक-326 से खातेदार प्रीतम कौर की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके वारिशान 898 से अतः ग्राम पत्थलगांव, प०ह०नं० 06 खातेदार हरवंश की भी मृत्यु हो चुकी है। रा०नि०म० /तहसील-पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०) स्थित दोनों खाता क्रमांक-326 एवं खाता क्रमांक-898 पर वसीयतनामा दिनांक 30.12.2020 के आधार पर प्रीतम कौर एवं हरवंश सिंह भाटिया का नाग विलोपित किया जाकर आवेदकगण क्रमांक-01 एवं 02 भूपेन्द्रपाल सिंह भाटिया एवं गुरुशरण सिंह का नाम का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदकगण ने आवेदन पत्र के साथ वर्तमान बी-1, वसीयतनामा की छायाप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त नामान्तरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उजर आपत्ति या दावा हो तो वह स्वयं अथवा मान्य अधिवक्ता अथवा वैध अभिकर्ता के मय दस्तावेज दिनांक 19.02.2026 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि पश्चात प्राप्त दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 05.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

तहसीलदार, पत्थलगांव
जिला-जशपुर (छ०ग०)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र० क०-२०260??2021700015-11-अ/2025-26 इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गंगा आ. धरमसाय व अन्य, निवासी ग्राम घंघरी, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा द्वारा ग्राम घंघरी स्थित भूमि खसरा न0 23/3, 132/4, 180/4, 208/4, 290/4, 691/1 कुल रकबा 0.652 हे० भूमि का आपस में खाता विभाजन कराने बावत आवेदन छ०म० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा, 178 के तहत प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/02/2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।आज दिनांक 04/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-2

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क०-20260202170014/अ-27/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गंगा आ. धरमसाय व अन्य, निवासी ग्राम घंघरी, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा द्वारा ग्राम घंघरी स्थित भूमि खसरा न० 388/5 कुल रकबा 0.081 हे० भूमि का आपस में खाता विभाजन कराने बावत आवेदन छ०ग० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा, 178 के तहत प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/02/2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित 27 होकर होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । आज दिनांक 04/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार
, अम्बिकापुर-2

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः 20260202070010 1

विषयः - ब-121

मामले की श्रेणीः - राजस्व

नमनाकला प.ह.न. 00020 [(हे0)]

पक्षकारों का विवरण आवेदक पक्षकार-आनन्द राम, अनावेदक पक्षकार -छ०ग० शासन,

सत्तः-2025-2026

ईश्तहार

आवेदक आनंद राम आ०स्व० हीरालाल निकोस मौलवी बांध, नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 622/17 रकबा 0.024 हे० भूमि के द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 06.03.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 05/02/2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
तहसील- अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र० /अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण ग्राम भिलाईकलां को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजदेव बेक पिता जगजीवन बेक, जाति उरांव, निवासी ग्राम भिलाईकलां, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर), जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम भिलाईकलां, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) स्थित खसरा नंबर 128/4 रकबा 0.060 हे0 में से रकबा 0.020 हे० भूमि को कृषि भिन्न से आवासीय प्रयोजन व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, रजिस्ट्री इत्यादि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 19/02/2026 को मेरे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 10/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) धौरपुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०.../अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण ग्राम बुलगा को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो० मोबीन अंसारी आ० मो० हुसैन, जाति जुलाहा, निवासी खरसिया रोड, इमतियाज गैरेज, गौसिया नगर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम बुलंगा, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) स्थित खसरा नंबर 1190/2 रकबा 0.267 हे0 भूमि को कृषि भिन्न से औद्योगिक प्रयोजन व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, रजिस्ट्री इत्यादि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 18/02/2026 को मेरे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 09/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) धौरपुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०./अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण ग्राम असकला को सूचित किया जाता है कि आवेदक चोलेश्वर यादव आ० सीता राम, जाति अहीर, निवासी ग्राम असकला, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर), जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम असकला, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) स्थित खसरा नंबर 558/4 रकबा 0.126 हे० भूमि को कृषि भिन्न से औद्योगिक प्रयोजन व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, रजिस्ट्री इत्यादि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 16/02/2026 को मेरे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 06/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.)धौरपुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०./अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण ग्राम बटवाही को सूचित किया जाता है कि आवेदक राधेश्याम जायसवाल आ० बद्रीप्रसाद जायसवाल, जाति जायसवाल, निवासी ग्राम बटवाही, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर), जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम बटवाही, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) स्थित खसरा नंबर 1711/30 रकबा 0.040 हे० भूमि को कृषि भिन्न से.... आवासीय प्रयोजन व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, रजिस्ट्री इत्यादि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 19/02/2026 को मेरे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 10/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.)धौरपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार दरिमा, सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क्र०//ब-121-/24-2

-ः ईश्तहार ः-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है रामजीत राम पिता/पति स्व मकचंद निवासी ग्राम लवईडीह के द्वारा जन्म / मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के धारा 13 (3) एवं छ०ग० जन्म / मृत्यु रजि० नियम 2001 के नियम 09 (3) के अन्तर्गत अपने पुत्र/पुत्री/माता /पिता /दादा-दादी मकचंद पिता टिडू का जन्म/मृत्यु में दिनांक 10/06/2012 को ग्राम लवईडीह होना बतलाते हुये उनके जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय बावत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 01/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
दरिमा

न्यायालय नायब तहसीलदार दरिमा, सरगुजा (छ०ग०)

रा०प०क्र०//अ-121-/24-25

ईश्तहार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक / आवेदिका बुधराम पिता/पति स्व समल निवासी ग्राम लवईडीह के द्वारा जन्म / मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के धारा 13 (3) एवं छ०ग० जन्म / मृत्यु रजि० नियम 2001 के नियन 09 (3) के अन्तर्गत अपने पुत्र/पुत्री / माता/पिता/दादा/दादी इस मोहर साय पोर्ते पिता विगू पोर्ते का जन्म / मृत्यु दिनांक 08/04/2014 को ग्रोन लवईडीह होना बतलाते हुये उनके जन्म / मृत्यु / मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय बावत वाय बावत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांक 01/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
दरिमा

न्यायालय नायब तहसीलदार, दरिमा जिला सरगुजा (छ०ग०)

इश्तहार

रा.प.क.//बी-121/24-25

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक एतवारी पति पलकधारी निवासी ग्राम लवइडीह थाना व तहसील दरिमा जिला सरगुजा छ०ग० छ०ग० के द्वारा मृत्यु पंजीयन कराने हेतु स्वय का शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, विलंब शुल्क चलान की प्रति सहित जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के धारा 13 (3) एवं छ०ग० जन्म / मृत्य रजि० नियम 2001 के नियम 09 (3) के अन्तर्गत अपने भाई स्व० टेवक पोर्ते का मृत्यु दिनान 23/02/2023 को ग्राम लवइडीह में होना बतलाते हुये उनके जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। अत उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं या अपन अधिकता के माध्यम से जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत क राकते हैं नियत तिथि के उपरांत किसी भी दावा / आपत्ति प्राप्त होने पर इस पर विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 17/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार,
दरिमा

दुर्लभ हॉर्नबिल संरक्षण की विशेष पहल, उदंती-सीतानदी में विकसित हो रहे प्राकृतिक उद्यान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। हॉर्नबिल दुनिया के सबसे आकर्षक और अनोखे पक्षियों में से एक हैं। इनका विशाल आकार, बड़ी चोंच, आकर्षक और रंगीन पंखुड़ियाँ और आमतौर पर शोरगुल भरा व्यवहार इन्हें हर जगह आसानी से पहचान दिलाते हैं। इनके घोंसला बनाने की विचित्र आदतें भी कई विशेषताओं में से एक हैं जो हॉर्नबिल को इतना दिलचस्प बनाती हैं। छत्तीसगढ के उदंती-सीतानदी में दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल पक्षियों के संरक्षण के लिए विशेष प्राकृतिक उद्यान विकसित किए जा रहे हैं, जिन्हें हॉर्नबिल रेस्टोरेंटह्व के रूप में तैयार किया जाएगा। हॉर्नबिल को जंगल का किसान मानते हुए उनके विलुप्त होने के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक हैं कि हॉर्नबिल प्रजातियों के लिए घोंसलों की निगरानी, कृत्रिम घोंसले लगाने, अनुसंधान और स्थानीय समुदाय की भागीदारी (घोंसला गोद लेने का कार्यक्रम) के माध्यम से संरक्षण कार्य किया जाए। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरुण कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहल कर रहा है। यह रेस्टोरेंट किसी प्रकार का कृत्रिम निर्माण नहीं होगा, बल्कि जंगल और आसपास के क्षेत्रों में फलदार वृक्षों का प्राकृतिक समूह विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत पीपल, बरगद तथा फाइकस प्रजाति के पौधे

लगाए जाएंगे, जिनके फल हॉर्नबिल पक्षियों का प्रमुख आहार हैं। इस पहल का उद्देश्य इन पक्षियों को पूरे वर्ष प्राकृतिक भोजन उपलब्ध कराना और उनके सुरक्षित आवास को बढ़ावा देना है। हॉर्नबिल को घोंसला बनाने के लिए जरूरी पेड़ों को लगाने और उनकी निगरानी करने के प्रयास। उल्लेखनीय है कि सामान्यतः पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाने वाले ये पक्षी अब उदंती-सीतानदी की अनुकूल जलवायु और हरियाली के कारण यहां अधिक संख्या में दिखाई देने लगे हैं। पहले जहां इनका दर्शन कभी-कभार होता था, वहीं अब सप्ताह में दो से तीन बार इनकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। हॉर्नबिल पक्षियों को फॉरेस्ट इंजीनियरह्व या जंगल का प्राकृतिक माली भी कहा जाता है, क्योंकि ये फल खाने के बाद बीजों को दूर-दूर तक फैलाते हैं, जिससे वनों का प्राकृतिक विस्तार होता है। समुद्र तल से लगभग 800 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उदंती-सीतानदी का पहाड़ी क्षेत्र इन पक्षियों के लिए उपयुक्त आवास सिद्ध हो रहा है। इन दुर्लभ पक्षियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए विशेष ट्रैकिंग टीमें गठित की गई हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों के साथ स्थानीय प्रशिक्षित युवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जो घोंसलों की सुरक्षा और नियमित निगरानी का कार्य कर रहे हैं। साथ ही ड्रोन तकनीक के माध्यम से शिकार गतिविधियों और वनाग्नि पर भी नजर रखी जा रही है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ईको-टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी, जिससे पर्यटक प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित दूरी से इन दुर्लभ पक्षियों को देख सकेंगे और क्षेत्र की जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

अन्नदाता का मान ही हमारी सरकार की पहचान, समर्थन मूल्य के अंतर की राशि होली के पहले एकमुश्त देने का निर्णय - मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पूर्व एकमुश्त प्रदान की जाएगी। इस निर्णय के तहत लगभग 10,000 करोड़ की राशि 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के अन्नदाता भाइयों-बहनों की मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल धान की खरीदी नहीं करती, बल्कि किसानों के परिश्रम का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उनके सम्मान की रक्षा करना अपना दायित्व मानती है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से किसानों को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही उत्सव का उल्लास बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत बीते दो वर्षों में किसानों को धान मूल्य अंतर की राशि के रूप में 25,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। होली से पूर्व किसानों के खाते में 10,000 करोड़ के भुगतान के साथ यह राशि बढ़कर 35,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसान प्रदेश की आत्मा और अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं।

मछली पालन और खेतों की सिंचाई का आधार बनेगी आजीविका डबरी

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के दिव्यांग श्री अंधरू बैगा के लिए मनरेगा की पहल बनी वरदान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर सकें और अपने परिवार के भरण पोषण के साथ गांव की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनपद पंचायत पंडरिया के ग्राम पंचायत लोखान अंतर्गत ग्राम कमराखोल में विशेष पिछड़ी जनजाति के दिव्यांग हितग्राही अंधरू बैगा के लिए मनरेगा के तहत निर्मित की जा रही आजीविका डबरी उनके सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव साबित होगी। ग्राम सभा में मनरेगा अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को आजीविका डबरी निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। इसके लाभों से प्रभावित होकर अंधरू बैगा ने अपने लिए डबरी निर्माण की मांग रखी। वे पूर्व से मनरेगा के तहत पंजीकृत होकर कार्य कर रहे हैं। ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर लगभग 1.05 लाख रुपये की लागत से उनके लिए आजीविका डबरी स्वीकृत की गई। डबरी निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें अब तक 574 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ है। स्वयं हितग्राही अंधरू बैगा को 36 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ तथा 9 हजार 360 रुपये की मजदूरी राशि उनके बैंक खाते में भुगतान की गई है। लगभग 20 गुणा 20 गुणा 3 मीटर आकार की यह डबरी पूर्ण होने पर करीब 894 घन मीटर जल संचयन क्षमता प्रदान करेगी। इससे मछली पालन, बाड़ी विकास और खेतों की सिंचाई के लिए स्थायी जल स्त्रोत उपलब्ध होगा तथा भूजल स्तर में वृद्धि से आसपास के क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा अभिसरण के माध्यम से मछली बीज, आवश्यक दवाइयां, जाल तथा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही डबरी के मेढ़ और आसपास की भूमि में नमी रहने से सब्जी उत्पादन के नए अवसर भी विकसित होंगे। निकटतम बाजार कुई में उत्पादों की आसान बिक्री से हितग्राही की आय में निरंतर वृद्धि संभव होगी। हितग्राही अंधरू बैगा ने बताया कि आजीविका डबरी बनने से उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आएगा। मछली पालन और सब्जी उत्पादन के माध्यम से उन्हें स्थायी आय का साधन मिलेगा और रोजगार के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना से वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो रही है और अब उनका भविष्य अधिक सुरक्षित और सुखद दिखाई दे रहा है। शासन की योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है और आत्मनिर्भरता की दिशा में यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है।

स्वस्थ समाज ही समृद्ध राज्य की नींव : मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीपीएम जिले की स्थापना की छठवीं वर्षगांठ के अवसर पर जिले को स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जिला अस्पताल के नवीन भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। नवीन जिला अस्तपाल करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा। यह अत्याधुनिक अस्पताल 100 बिस्तरयुक्त होगा। इस अस्पताल के बनने से जिले के नागरिकों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक प्रणव मरपच्ची ने की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राज्य की नींव होता है। जीपीएम जिले में नए अस्पताल भवन का निर्माण स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती देगा। टीबी मुक्त और बाल विवाह मुक्त पंचायतें इस बात का प्रमाण हैं कि जब शासन और समाज मिलकर काम करते हैं, तो बड़े सामाजिक बदलाव संभव होते हैं। छत्तीसगढ़ को रोगमुक्त, सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में जिले की 52 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त एवं 71 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया। इन पंचायतों के सरपंचों को प्रशस्ति पत्र एवं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि बाल विवाह मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों में पिछले दो वर्षों में एक भी बाल विवाह के प्रकरण सामने नहीं आए हैं, वहीं टीबी मुक्त पंचायतों में दो से तीन वर्षों से कोई नया प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। यह उपलब्धि जनजागरूकता, स्वास्थ्य विभाग और पंचायतों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को गति देने के लिए जागरूकता हेतु तीन प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरूकता और अधिक सशक्त हो सके। यह अभियान 10 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा। जिसमें लोगो को निःशुल्क रुप से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा सेवन कराया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैंकरा, अनेक जनप्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

टोहेमेटा में एनीकट निर्माण हेतु 3.56 करोड़ की स्वीकृति

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राज्य शासन द्वारा गरियाबंद जिले के विकासखंड मैनपुर के ग्राम टोहेमेटा में एनीकट निर्माण कार्य के लिए 356.36 लाख (तीन करोड़ छप्पन लाख छत्तीस हजार रूपए) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्तावित एनीकट निर्माण से क्षेत्र में निस्तारी, पेयजल उपलब्धता तथा भू-जल संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा और कृषकों द्वारा लगभग 55 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी। परियोजना को वित्त एवं योजना विभाग की समिति द्वारा अनुशंसित किए जाने के पश्चात विभागीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि कार्य स्वीकृत लागत एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर, पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से तथा प्रचलित वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित कर पूर्ण किया जाए। यह परियोजना क्षेत्र के किसानों एवं ग्रामीणों के लिए जल संरक्षण और सिंचाई सुविधा विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

प्रार्थना सभा में गूंजेंगी अखबार की सुर्खियां : विद्यार्थियों की दिनचर्या में शामिल हुआ अखबार वाचन

शासकीय प्राथमिक शाला पीपरडांड की अभिनव पहल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छात्रों के लिए प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना एक लाभकारी आदत है। इससे उन्हें समसामयिक घटनाओं, महत्वपूर्ण मुद्दों और विविध विचारों से अवगत होने का अवसर मिलता है। यह आदत गुणवत्तापूर्ण भाषा और सुव्यवस्थित सामग्री के संपर्क में आने से उनकी पढ़ने और लिखने की क्षमताओं को बढ़ाती है। शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर उसे जीवन से जोड़ने की दिशा में सरगुजा जिला के विकासखंड प्रेमनगर के शासकीय प्राथमिक शाला पीपरडांड में एक सराहनीय एवं अभिनव पहल की गई है। विद्यालय में विद्यार्थियों की दैनिक दिनचर्या में अखबार वाचन को शामिल किया गया है। इस प्रयास से परीक्षा-केंद्रित शिक्षा को ज्ञान-केंद्रित शिक्षा में परिवर्तित करने की दिशा में सार्थक कदम उठाया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें सोचने, समझने, तर्क करने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना है। सहायक शिक्षक श्री राजेन्द्र जायसवाल ने बताया कि वर्तमान समय में बढ़ते मोबाइल स्क्रीन टाइम के कारण बच्चों में पठन संस्कृति कमजोर होती जा रही है। ऐसे में समाचार पत्र वाचन शिक्षा सुधार का एक प्रभावी माध्यम बनकर सामने आया है। नई व्यवस्था के तहत विद्यालय की प्रार्थना सभा अब केवल अनुशासनात्मक गतिविधि तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जागरूकता की पाठशाला के रूप में विकसित होगी। छात्र-छात्राएं प्रतिदिन अखबार की प्रमुख सुर्खियां पढ़ेंगे और देश-दुनिया की समसामयिक घटनाओं से अवगत होंगे। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों को किसी संपादकीय विषय पर मौलिक लेखन एवं समूह चर्चा के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे बच्चों में विचार-विमर्श, संवाद कौशल, अभिव्यक्ति क्षमता तथा नैतिक मूल्यों का विकास होगा। विद्यालय की इस नवाचारपूर्ण पहल की क्षेत्र में व्यापक सराहना की जा रही है। यह प्रयास निश्चित रूप से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जंगलेसर मौखला एनीकट के डाउनस्ट्रीम में बैंक प्रोटेक्शन कार्य हेतु 4.69 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति

रायपुर। राज्य शासन द्वारा राजनांदगांव जिले के विकासखंड राजनांदगांव स्थित जंगलेसर मौखला एनीकट के डाउनस्ट्रीम में बैंक प्रोटेक्शन (तटबंध संरक्षण) कार्य हेतु 469.99 लाख रुपए (चार करोड़ उनहत्तर लाख निन्यानबे हजार रूपए) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्तावित कार्य तटबंध निर्माण एवं सुरक्षा हेतु है, जिससे बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव रोकने में सहायता मिलेगी। इस परियोजना को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के स्थायी वित्त निर्देश के अंतर्गत गठित समिति द्वारा अनुशंसित किए जाने के पश्चात विभागीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। शासन द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए।

खेत में पहुंचे तेंदुए का शावक को वन विभाग ने किया रेस्क्यू

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। गौरतलब है कि श्रृंगी ऋषि पहाड़ी की तराई में स्थित खेतों में ग्रामीणों ने लगभग चार माह के तेंदुए के शावक को देखा। संभावना है कि शावक अपनी मां से बिछड़कर भटकते हुए रिहायशी क्षेत्र तक पहुंच गया था। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से शावक को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। राज्य में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में वन विभाग ने एक और सराहनीय कार्य किया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री अरुण कुमार पाण्डेय के दिशा-निदेशों में धमतरी जिले के नगरी-सिहावा क्षेत्र अंतर्गत बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के ग्राम छिपली पारा में तेंदुए के एक शावक का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद विभागीय प्रक्रिया के तहत शावक को नगरी स्थित पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पशु चिकित्सकों द्वारा उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच में शावक पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। रेंज अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार शावक को आगे की देखभाल और सुरक्षित वातावरण के लिए नया रायपुर स्थित जंगल सफारी भेजा गया है। नगरी-सिहावा क्षेत्र सघन वनों और पहाड़ी भू-भाग के कारण तेंदुए और अन्य वन्यजीवों के लिए उपयुक्त प्राकृतिक आवास माना जाता है। वन विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में भी मदद मिल रही है। गांव के ग्रामीणों की सूझबूझ और जिम्मेदारी की खुलकर सराहना की है। विभाग का कहना है कि यदि लोग इसी तरह जागरूकता और संवेदनशीलता दिखाएं, तो मानव-वन्यजीव संघर्ष को काफी हद तक कम किया जा सकता है. इस घटना से यह भी साबित हुआ है कि सही समय पर सही कदम उठाने से वन्यजीवों की जान बचाई जा सकती है।

कपसरा व बरौधी के लिए जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक 13 को

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। कोल इंडिया की सहायक कंपनी एसईसीएल भटगांव क्षेत्र अंतर्गत संचालित महामाया ओसीपी परियोजना के लिए कोयला धारक क्षेत्र अर्जन एवं विकास अधिनियम 1957 के तहत भूमि अर्जित की गई है। अर्जित भूमि के बदले प्रभावित भूस्वामियों को रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2012 के अनुसार जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति का गठन कार्यालयीन आदेश 18 नवम्बर 2022 के माध्यम से किया गया है।

इसी क्रम में ग्राम कपसरा एवं बरौधी के हितग्राहियों को रोजगार एवं पुनर्वास से संबंधित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति की बैठक का आयोजन 13 फरवरी को संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में किया जाएगा।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम कपसरा के हितग्राहियों के लिए बैठक दोपहर 12 बजे तथा ग्राम बरौधी के हितग्राहियों के लिए बैठक अपराह्न 3:00 बजे आयोजित की जाएगी। संबंधित हितग्राहियों को नियत समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया गया है।

फाइलेरिया से बचाव हेतु अवश्य करें सामूहिक दवा सेवन : डीईओ

स्वयं दवा खाकर जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यार्थियों को दवा सेवन के लिए किया प्रेरित

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत बुधवार को सूरजपुर विकासखंड के तिलसिंवा स्थित मुख्यमंत्री डीएबी पब्लिक स्कूल में सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने स्वयं शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति में दवा का सेवन किया तथा सभी को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। जिला शिक्षा अधिकारी श्री मिश्र ने कहा कि फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए सामूहिक दवा सेवन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों से आग्रह किया कि कोई भी व्यक्ति दवा सेवन से वंचित न रहे। साथ ही बच्चों से अपील की कि वे घर जाकर अपने परिवारजनों, पड़ोसियों एवं

ग्रामवासियों को भी दवा सेवन के लिए प्रेरित करें और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने जानकारी दी कि कलेक्टर एस. जयवर्धन के मार्गदर्शन में जिले के तीन विकासखंड सूरजपुर, रामानुजनगर एवं प्रेमनगर में 10 से 25 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य टीमें घर-घर जाकर दवा वितरण कर रही हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर बूथ भी बनाए गए हैं तथा निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में एमडीए के लिए टीम तैनात है। जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं, उनके पालक एवं शिक्षक दवा सेवन करेंगे। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

कार्यक्रम में डीईओ के साथ डीएमसी मनोज साहू, सहायक संचालक रविंद्र सिंह देव, जिला परियोजना अधिकारी डॉ. मोहन साहू, विद्यालय की प्राचार्य, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन करें सुनिश्चित : जयवर्धन

कलेक्टर ने ली राइस मिलरों की बैठक दिए आवश्यक निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। बुधवार को यहां जिला संयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर एस जयवर्धन ने जिले के राइस मिलरों की बैठक ली। बैठक में धान मिलिंग की प्रगति, एफआरके, राइस उत्पादन, धान उठाव तथा पीडीएस दुकानों में चावल की नियमित आपूर्ति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी राइस मिलरों को कहा कि वे अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार धान मिलिंग कार्य में तेजी लाएं तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें।

उन्होंने एफआरके राइस उत्पादन पर विशेष जोर देते हुए गुणवत्ता एवं समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में डीएमओ, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने तथा पीडीएस दुकानों में चावल की उपलब्धता नियमित बनाए रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने धान उठाव की स्थिति की समीक्षा करते हुए समय-सीमा के भीतर लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है।

चैत्र नवरात्र पर कुदरगढ़ महोत्सव की तैयारी हेतु हुई ट्रस्ट की बैठक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। आगामी चैत्र नवरात्रि के अवसर पर जिले के आस्था की प्रतीक माँ बागेश्वरी देवी कुदरगढ़ धाम में चैत्र नवरात्र व कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन पूर्व की भांति किया जायेगा। महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की लिए

बुधवार को न्यू सर्किट हाउस में लोकन्यास ट्रस्ट कुदरगढ़ द्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल, सत्यनारायण सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष ओंकार पाण्डेय, कुदरगढ़ ट्रस्ट के सदस्य व जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर एस. जयवर्धन, डीएफओ डी.पी साहू, जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले, एडिसनल एएसपी योगेश देवागंन, एएसडीएम श्रीमती चांदनी कंवर व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में चैत्र नवरात्र व कुदरगढ़ महोत्सव को ध्यान में रखतें हुए महत्वपूर्ण बिंदुओ पर चर्चा की गई। चैत्र नवरात्र व कुदरगढ़ महोत्सव के दौरान तैयारियों की रूपरेखा व प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें बिजली, पानी, स्वच्छता, पार्किंग व शौचालय जैसे विषयों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने की बात कही गई। कुदरगढ़ मंदिर के परिक्षेत्र और महोत्व स्थल पर कचड़ा प्रबंधन को लेकर विशेष रूप से एहतिहात बरतने की बात कही गई। इसके साथ ही नागरिकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित करने को लेकर विभिन्न मुद्दों, दिए गए सुझावों एवं कार्य योजना पर चर्चा एवं आवश्यक निर्देश दिए गए।

प्रतापपुर के विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस का हुआ आयोजन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सम्पूर्णता अभियान 2.0 के तहत जिले के प्रतापपुर के समस्त विद्यालयों में बुधवार को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया।

कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश एवं जिला सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना तथा उन्हें विज्ञान शिक्षा हेतु प्रति प्रेरित करना है। इसके साथ ही विद्यालयों में पोषण प्रदर्शनी, क्विज, भाषण प्रतियोगिता एवं जागरूकता सत्र आयोजित किए गए और बालिकाओं को विज्ञान, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं में आत्मविश्वास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं नवाचार की भावना का विकास हुआ।कार्यक्रम में प्रतापपुर एसडीम श्रीमती अधिकारी ललित भगत, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुन्नू सिंह ध्रुव, विकासखंड उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के राकेश मोहन मिश्रा, आकांक्षी ब्लॉक फेलो, महिला एवं बाल विकास विभाग से पर्यवेक्षक श्रीमती विभा साहू, स्वच्छ भारत मिशन से लतीफ अब्दुल अंसारी सहित विद्यालयों के शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएँ उपस्थित रहे।

कार्यालय कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

द्वितीय निविदा

भारत की जनगणना-2027 कार्य के लिए जिला कार्यालय बलरामपुर, समस्त तहसीलों एवं नगरीय निकायों में तकनीकी सहायक हेतु कुल 19 कार्मिकों तथा एम.टी.एस. (चतुर्थ श्रेणी) 01 कार्मिक की माह मार्च 2026 से जून-2027 तक कुल 16 माह की अवधि के लिए एजेन्सी के माध्यम से नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मों/Placement Agency/LabourSupplier/Contractor Registered NGO से दिनाक 20.02.2026 को अपरान्ह 03.00 बजे तक बन्द लिफाफे में दर आमंत्रित हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 20.02.2026 को शाम 4.00 खोला जायेगा। निविदा की शर्तें, निविदा का प्रारूप आदि विस्तृत जानकारी के लिए जिले की वेबसाईट www.balrampur.cg.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता है।

Digitally signed by
RAJENDRA KUMAR KATARA
Date: 09.02.2026
12:35:28

कलेक्टर
एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी
जी-252606576/1 जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)

नशे में स्कूल आने एवं बच्चो से सफाई मामले में डीईओ ने की कार्रवाई

बीईओ को अंतिम चेतावनी व 5 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने आदेश जारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए प्रतापपुर बीईओ को अंतिम चेतावनी एवं जनशिक्षक सहित 05 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया है। जिले के शासकीय प्राथमिक शाला बांसदेवपुर, संकुल दवनकरा, विकासखण्ड प्रतापपुर का एक विडियो वायरल हुआ था। जिसमे स्कूली बच्चे हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आए थे। उक्त मामले को कलेक्टर एस. जयवर्धन ने संज्ञान में लेते हेतु जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिस पर डीईओ द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुये विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर मुन्नू सिंह धुर्वे को स्पष्टीकरण जारी किया गया था, जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने के फलस्वरूप इन्हें अंतिम चेतावनी देते हुए विकासखण्ड अंतर्गत संचालित विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को जिला कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

जन शिक्षक संकुल केन्द्र दवनसरा, विकासखण्ड प्रतापपुर, कामेश्वर सिंह को जारी स्पष्टीकरण का जवाब संतोषपद नहीं पाये जाने के फलस्वरूप एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरूद्ध करने का आदेश जारी किया गया है। इसी क्रम में शासकीय प्राथमिक शाला बांसदेवपुर, दवनकरा के प्रधान पाठक राकेश कुमार गुप्ता, एवं सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार सिंह का आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरूद्ध करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं एक अन्य मामले में संकुल शैक्षिक समन्वयक संकुल केन्द्र बोंगा तथा सरपंच ग्राम पंचायत बोंगा प्रतापपुर द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला सरईडांड़ बोंगा का निरीक्षण किया गया। जिसमें प्रधान पाठक जवाहर लाल व सहायक शिक्षक रोशनलाल उरांव शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित पाये गए, जिस पर कार्यवाही करते हुए डीईओ ने जवाहर लाल एवं रोशनलाल का आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का आदेश जारी किया गया है।

अवैध ईंट भट्ठे पर प्रशासन की कार्यवाही

5 लाख 85 हजार ईंटें व भण्डारित अवैध कोयला सहित 1 ट्रैक्टर जब्त

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले में अवैध संचालित ईंट भट्ठों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा

लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन में विकासखण्ड राजपुर, शंकरगढ़ एवं कुसमी में लगभग 5 लाख 85 हजार अवैध ईंट व 3 ट्रैक्टर, अवैध कोयला जब्त कर कार्यवाही की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजपुर श्री देवेन्द्र प्रधान के नेतृत्व में नायब तहसीलदार बरियों एवं माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम भदार में संचालित एक अवैध ईंट भट्ठे पर कार्रवाई की। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित ईंट भट्ठा अनुमति एवं वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण किए बिना संचालित किया जा रहा था। टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए भट्ठा संचालक नीरज यादव के लगभग 70 हजार तैयार ईंटों को जब्त कर लिया। इसी प्रकार ग्राम भदार में ही अमितेष गुप्ता के पास से 1 लाख 20 हजार ईंट, तथा ग्राम पेंडारी में अमित गुप्ता के पास 2 लाख ईंट, अवैध रूप से भण्डारित कोयला व 1 ट्रैक्टर जब्त करने की कार्यवाही की गई।

अनुविभागीय अधिकारी कुसमी श्री करूण डहरिया के नेतृत्व में अवैध रूप से संचालित ईंच भट्ठे पर भी कार्यवाही की गई। ग्राम पंचायत मदगुरी के ग्राम कर्राडांड में बनवारी गिरी द्वारा अवैध रूप से ईंट भट्ठी स्थापित कर लगभग 1 लाख 20 हजार ईंट निर्मित किया गया था। जांच में ईंट भट्ठी संचालन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए निर्मित 1 लाख 20 हजार ईंट को जब्त किया गया।

इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी शंकरगढ़ श्री विवेक अनमोल टोप्पो के नेतृत्व में अवैध ईंट भट्ठे पर कार्यवाही की गई। ग्राम महुआडीह में राजदेव के द्वारा अवैध रूप से ईंट भट्ठे का संचालन किया जा रहा था। जिस पर कार्यवाही करते हुए लगभग 75 हजार ईंट को जब्त किया गया।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल

अनुलग्नक-अ

कार्य का विवरण - तीन (03) वर्षों की अवधि के लिये अंबिकापुर (ABKP) रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित लगभग 3692 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले मिश्रित पार्किंग स्थल के प्रबंधन और संचालन हेतु लाइसेंस हेतु ई-नीलामी आमंत्रित की गई है। केटेलॉग दिनांक 06.02.2026 को IREPS वेबसाइट (https://ireps/gov.in पर प्रकाशित किया जा चुका है। विवरण इस प्रकार है:-

कैटेलॉग क्र.	श्रेणी	नीलामी दिनांक/समय	लॉट क्रमांक	लॉट विवरण	अनुबंध अवधि
PARK-ABKP-26	Parking-Mixed	21-02-26 11:30:00	Parking-BSP-ABKP-MX-55-26-1	अंबिकापुर (ABKP) रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित लगभग 3692 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले मिश्रित पार्किंग स्थल के प्रबंधन और संचालन हेतु लाइसेंस	1096 दिन

सीपीआर/10/FL/679 सहायक वाणिज्य प्रबंधक (Chg), द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर

South East Central Railway @secrail

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर, जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

राजस्व प्रकरण क्रं. ब-121/2024

सूरजपुर, दिनांक 19/01/2026

आवेदक/आवेदिका का नाम कवलसाय आ0 स्व ठूईयाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम पेण्डरखी, प.ह.न. 29 तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर (248 (छ.ग.) ने अपने पिता स्व ठूईयाराम मृत्यु/जन्म दिनांक 8 /8 /2008 का मृत्यु/जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 22/02/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय में अपना स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।इस ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 19/1/2026 को जारी किया जाता है।

नायब तहसीलदार
उप तहसील मानी
तहसील सूरजपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष
ग्राम- सोनपुर प.ह.न. 05

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक देव सिंह पिता जिरजोधन जाति गोड़ निवासी ग्राम सोनपुर प.ह.न.05 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक की दीदी. विमलावती का जन्म दिनांक 01/01/1978 को ग्राम सोनपुर में हुई है। अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने दीदी विमलावती का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत सोनपुर को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 20/02/22 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

न्यायालय नायब तहसीलदार
भैयाथान
जिला - सूरजपुर (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष
ग्राम- सोनपुर प.ह.न. 05

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक देव सिंह पिता जिरजोधन जाति गोड़ निवासी ग्राम सोनपुर प.ह.न.05 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्री शिवानी सिंह का जन्म दिनांक 01.03.2016 को ग्राम सोनपुर में हुई है। अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पुत्री शिवानी सिंह का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत सोनपुर को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 20/02/22 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

न्यायालय नायब तहसीलदार
भैयाथान
जिला - सूरजपुर (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र ब/121 वर्ष
प.ह.न. 01 ग्राम-परसिया

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामगोपाल पिता रजमोहन जाति रजवार निवासी ग्राम परसिया प.ह.न 01 रा.नि.नं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र राम राजवाड़े का जन्म दिनांक 6-12-2006 को ग्राम परसिया में हुई है, अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र राम राजवाडे का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत परसिया को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक. 12/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29/01/2026को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील भैयाथान
जिला सूरजपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र ब/121 वर्ष
प.ह.न. 01 ग्राम-परसिया

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुकूल राम पिता महोदर साय जाति रजवार निवासी ग्राम परसिया प.ह.न.01 .रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छरूग) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र परमेश्वर राजवाड़े का जन्म दिनांक 29-07-2007 को ग्राम परसिया में हुई है, अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र परमेश्वर राजवाड़े का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत परसिया को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 12/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29/01/2026को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील भैयाथान
जिला सूरजपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र ब/121 वर्ष
प.ह.न. 01 ग्राम-परसिया

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनबहाल पिता रामकुमार जाति पनिका निवासी ग्राम परसिया प.ह.न.01 रा.नि.नं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र जगदीश का जन्म दिनांक 07/07/2003 को ग्राम परसिया में हुई है, अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र जगदीश का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत परसिया. को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 12/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 29/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील भैयाथान
जिला सूरजपुर

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में 37वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पीजी कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में 37वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का भव्य समापन हुआ। इसके पहले 01 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत सरगुजा पुलिस द्वारा यातायात नियमों के जागरूकता हेतु विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1100 नागरिकों को लर्निंग लाइसेंस का लाभ मिला। बता दें कि पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशन में सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों के पालन कराने हेतु 01 जनवरी से 31 जनवरी तक 37वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन जिले में किया गया। इस दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम सहित वाहन चालकों-परिचालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया 01 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चले जागरूकता कार्यक्रम का समापन पीजी कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत, सभापति हरमिन्दर सिंह टिन्नी, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सरगुजा अजीत बसंत, डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के उपस्थिति में हुआ। इस मौके पर माह भर सरगुजा पुलिस द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी गई। यातायात जागरूकता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले एनसीसी व एनएसएस कैडेट्स, छात्र-छात्राओं, बच्चों एवं डॉयल 112, डॉयल 102 महतारी एक्सप्रेस, जिला अस्पताल, पुलिस विभाग, ऑटो वाहन के चालकों, गुड सेमेरिटन, पुलिस मितान के सदस्यों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये जागरूकता उत्पन्न करने वाले विद्यालयीन 100 से अधिक छात्र-छात्राओं एवं पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में जरुरतमंदों को जागरूकता के उद्देश्य से हेलमेट प्रदान कर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की गई। समापन समारोह के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो, नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल, नगर सेना कमांडेंट शिव कुमार कठोतिया, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विनय सोनी, उप पुलिस अधीक्षक सुरेश भगत, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ग्रामीण तूल सिंह पट्टावी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर राजेंद्र मंडावी, सहायक आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता, थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, थाना प्रभारी मणीपुर उप निरीक्षक सी.पी. तिवारी, यातायात प्रभारी उप निरीक्षक विजय केवर्त, मंच संचालन शोभा दास सहित काफी संख्या में छात्र-छात्राएं आम नागरिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।

यातायात नियमों का पालन करने की शुरूआत खुद से करें-महापौर

महापौर मंजूषा भगत ने अपने उद्बोधन में कहा कि यातायात पुलिस एवं निगम का पुराना साथ रहा है। दोनों विभाग एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी के रूप में कार्य करते रहे हैं, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा यातायात नियमों का पालन करने की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक जब स्वयं अपने आदतों में बदलाव लाएंगे तो समाज के बीच सकरात्मक सुधार प्रदर्शित होगा, इससे सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कमी आएगी।

सड़क सुरक्षा नागरिकों के व्यवहार में शामिल होना जरूरी-कलेक्टर

कलेक्टर सरगुजा अजीत बसंत ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के जरिये पिछले 01 माह में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा का ध्येय नागरिकों के व्यवहार में शामिल होना चाहिए। इसमें नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। हाल ही में जिले में मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसमें काफी संख्या में जिले व बाहर से आए नागरिक शामिल होंगे। हमें ऐसा प्रयास करना होगा कि महोत्सव के दौरान सड़क दुर्घटना के मामले सामने ना आएं। कलेक्टर ने रिंग रोड में गाड़ियों की अनाधिकृत पार्किंग रोकने सहित ट्रैफिक को निर्बाध बनाए रखने संयुक्त कार्रवाई करने एवं सभी के सार्थक प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाने की बात कही।

सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में 32 प्रतिशत की कमी आई-एसएसपी

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान हजारों नागरिकों को यातायात के नियम एवं सुरक्षा के मापदंड की विस्तृत जानकारी दी गई है। बैनर पोस्टर एवं यातायात जागरूकता रथ के जरिये नागरिकों को प्रेरित किया गया। स्कूल-कॉलेज के बसों की चेकिंग की गई, इसमें परिवहन विभाग की महती भागीदारी थी। पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा मिलकर लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन कराया गया, जिसमें लगभग 1100 लोगों ने अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाया। सारथी दिवस के दिन यातायात पुलिस द्वारा अच्छे चालकों को पुरस्कृत किया गया, नि:शुल्क हेलमेट वितरण किया गया। सरगुजा पुलिस को 200 हेलमेट दान में प्राप्त हुआ, जिससे जरुरतमंद नागरिक लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा पुलिस के सार्थक प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में 32 प्रतिशत की प्रभावी कमी आई है। भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की पहल जारी रहेगी।

सड़क हादसों को रोकने अनुशासति रहना जरूरी-सभापति

नगर निगम सभापति हरमिन्दर सिंह टिन्नी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जनउपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आम नागरिकों को लाभ मिला। प्रत्येक परिवार को अपने घर के सदस्यों के सुरक्षित वापसी की चिंता रहती है। छोटे-छोटे उपायों एवं अनुशासन से सड़क दुर्घटना के मामलों को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा वाहन चालकों को जागरूकता कार्यक्रम में मिले सीख को याद रखने की आवश्यकता है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान हजारों नागरिकों को जागरूक किया गया, जो प्रशंसनीय है। सेवा किटी समूह द्वारा हेलमेट बैंक की स्थापना कर जरूरतमंद नागरिकों को सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा जरूरतमंदों के लिए वे स्वयं उक्त हेलमेट बैंक में 51 हेलमेट दान दिए हैं।

मारपीट के पुराने मामले में उपसरपंच सहित 7 लोगों के विरूद्ध अपराध दर्ज

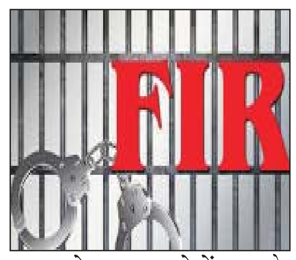

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। ट्रेक्टर से बालू लेकर बस्ती की ओर जा रहे ग्रामीण का रास्ता रोककर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पांच माह पूर्व मारपीट की घटना को अंजाम दिया, और बीच-बचाव करने के लिए आए पिता-पुत्र पर पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी। आरोप है कि घटना की जानकारी धौरपुर थाना में देने के बाद भी पुलिस ने राजनैतिक दबाव में अपराध दर्ज नहीं किया था। इसकी लिखित शिकायत एसडीओपी से करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी और सात आरोपियों के विरूद्ध नामजद अपराध दर्ज कर ली है।

एसडीओपी के नाम प्रेषित आवेदन में रघुपुर निवासी विजय शंकर यादव ऊर्फ छोटू पिता राधेश्याम यादव 23 वर्ष ने थाने में बीते 03 सितम्बर 2025 को अवगत कराया था कि 03.09.2025 को सुबह करीब 07 बजे उसका बड़ा भाई दयाशंकर यादव अपने ट्रेक्टर से बालू लेकर रघुपुर बस्ती की ओर जा रहा था, तभी रघुपुर बस्ती में चैक के पास सार्वजनिक रोड में ट्रेक्टर को गणेश पिता शिवशंकर, ठाकुर पिता शिवशंकर यादव, संतोष पिता पहरू जबरन रोक लिए और गालीगलौज करते हुए ट्रेक्टर पार करने पर मारकर फेंक देने की धमकी देने लगे। इस दौरान चैक पर गांव के लोग जमा हो गए और रविवार को पंचायत होने के बाद ट्रेक्टर पार करना तय हुआ। इनकी बात को मानकर दोनों पक्ष के लोग अपने घर चले गए। दयाशंकर को घर जाते समय कृष्णा, दलवीर, राजेश पकड़ लिए और उसका गला दबाने लगे, तो वह बचाने के लिए आवाज लगाया। आवाज सुनकर विजय शंकर यादव अपने पिता राधेश्याम यादव के साथ आया और भाई दयाशंकर को छुड़ाने लगा। इसी बीच कृष्णा पत्थर से राधेश्याम यादव के सिर में पीछे से प्रहार कर दिए, जिससे सिर में गड्ढा हो गया और खून बहने लगा। वहीं राजेश, मोहन हाथ में पत्थर से मारे, जिससे कलाई में सूजन आ गया था। विजय पर भी आरोपियों ने पत्थर और डंडे से हमला किया। अन्य आरोपी मारपीट के लिए प्रेरित कर रहे थे।

आरोपियों से इस बात को लेकर रंजिश

विजय शंकर यादव का कहना है कि शिवशंकर यादव उसका पड़ोसी है, जो उसके और पड़ोस में रहने वाले कपिल पिता खुसरा के परिवार के आने-जाने का रास्ता घेरा बनाकर रोक दिया है, जबकि दोनों के परिवार का आने-जाने का यह एकमात्र बहुत पुराना रास्ता है। इससे दोनों परिवार के लागों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। इस संबंध में राधेश्याम यादव, कपिल एवं ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस धौरपुर को रास्ता दिलाने के लिए आवेदन दिया है। इसी बात को लेकर आरोपी रंजिश रखते हुए दोनों ही परिवार के लोगों को परेशान करने में लगे हैं। राधेश्याम यादव के विरूद्ध एक्ट्रोसिटी एक्ट का झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया गया, जिसमें उन्हें जमानत मिल गया है। इसके बाद आरोपी षड्यंत्रपूर्वक सुनियोजित तरीके से विजय यादव, दयाशंकर यादव, राधेश्याम यादव, कपिल, सुदर्शन एवं श्रवण यादव के साथ मारपीट किए और झूठा रिपोर्ट भी पुलिस थाना धौरपुर में दर्ज करा दिया। वहीं पीड़ित पक्ष को आई गंभीर चोट और शिकायत को नजरअंदाज करते हुए रिपोर्ट नहीं दर्ज किया गया।

नेताओं के दबाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरोप

विजय शंकर यादव का आरोप है कि थानेदार से रिपोर्ट नहीं लिखने की जानकारी लेने पर उनका जवाब था कि मेरे ऊपर बड़े नेताओं का काफी दबाव है, इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखा गया है। शिवशंकर गांव का उपसरपंच है, जिसकी पहुंचे बड़े नेताओं तक है। इनके द्वारा बड़े नेताओं के प्रभाव में आकर चिकित्सीय प्रतिवेदन भी कमजोर बनाने का संदेह एसडीओपी के नाम दिए गए आवेदन में व्यक्त किया गया था। बहरहाल पुलिस ने मामले में शिवशंकर यादव, कृष्णा यादव, राजेश कुजूर, मोहन तिर्की के विरूद्ध बीएनएस की धारा 45, 296, 351, 115(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

रोजगार की गारंटी वाली योजना को कमजोर करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए खतरा-सिंहदेव

मनरेगा बचाने की मांग को लेकर सत्यनगर से भैयाथान तक पैदल मार्च

छ.ग.फ्रंटलाइन भैयाथान। मनरेगा योजना को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाए रखने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सत्यनगर से भैयाथान मुख्यालय तक विशाल पैदल मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा में भाग लिया और भैयाथान पहुंचकर अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीण गरीबों के हितों की रक्षा और मनरेगा के प्रावधानों को मजबूत बनाए रखने की मांग की गई। पदयात्रा का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भैयाथान की अध्यक्ष विद्यात्रि सिंह देव तथा जिला पंचायत सदस्य अखिलेश प्रताप सिंह देव ने किया। उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिससे पूरे मार्ग में जनसहभागिता का उत्साह दिखाई दिया।

सभा को संबोधित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और कमजोर वर्ग के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन इसके प्रावधानों में कटौती और प्रक्रियाओं को जटिल बनाकर लगातार इसकी प्रभावशीलता कम की जा रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार की गारंटी देने वाली योजना को कमजोर करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीणों के रोजगार के प्रति उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। विभिन्न नियमों व कटौतियों के नाम पर मनरेगा के लाभ सीमित किए जा रहे हैं, इससे गरीब मजदूर अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जे.पी. श्रीवास्तव, पूर्व सांसद खेलसाय सिंह, पूर्व मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, पारसनाथ राजवाड़े, पूर्व जिला अध्यक्ष भगवती राजवाड़े, प्रदीप राजवाड़े, मनोज डालमिया, जफर हैदर, दीप्ति स्वाई, आनंद कुंवर, रामकृष्ण ओझा, राजेंद्र प्रताप सिंह देव, योगेंद्र सिंह देव, रामचंद्र यादव, कौशलेंद्र सिंह, राजू गुप्ता, नूर आलम, शांतनु सिंह, आशीष सिंह, राहुल सिंह, विक्की दुबे, बजरंगी सिंह, रितेश सिंह, सुलोचनी पैकरा जनपद पंचायत अध्यक्ष भैयाथान, दुर्गा सारथी, शशिलता सिंह, इंद्रावती राजवाड़े, दीपमाला टंडन सहित जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक पदाधिकारी, महिला कांग्रेस सदस्य और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

ज्ञापन के माध्यम से की गई मांग

ज्ञापन के माध्यम से मनरेगा योजना के प्रावधानों को सुरक्षित रखने, कटौतियों पर रोक लगाने और ग्रामीण गरीबों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति से भैयाथान मुख्यालय क्षेत्र में जनसैलाब जैसा माहौल देखने को मिला।

द्विभाषी ऑनलाइन डैशबोर्ड के विकास हेतु जिपं सरगुजा ने आमंत्रित की अभिरुचि अभिव्यक्ति

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जिला पंचायत सरगुजा द्वारा ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करने तथा डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसी क्रम में द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेज़ी) ऑनलाइन डैशबोर्ड के डिज़ाइन, विकास, होस्टिंग एवं अनुरक्षण के लिए योग्य एजेंसियों से अभिरुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि चयनित एजेंसी 'एप्लीकेशन डिजाइन, होस्टिंग एवं मेंटेनेंस एजेंसी' के रूप में कार्य करेगी और एक आधुनिक, उपयोगकर्ता-अनुकूल एवं तकनीकी रूप से उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेगी। यह डैशबोर्ड प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं नागरिकों के लिए सुगम बनाएगा। प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन तकनीकी एवं वित्तीय दो चरणों में किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन 100 अंकों का होगा, जिसमें न्यूनतम 80 अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। केवल तकनीकी रूप से पात्र एजेंसियों के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे। तकनीकी मूल्यांकन में संगठन की पृष्ठभूमि, शासकीय कार्यों का अनुभव, प्रस्तावित स्टाफ की योग्यता, कार्य योजना तथा समयबद्धता को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। जिला पंचायत सरगुजा ने सभी योग्य एवं इच्छुक एजेंसियों से निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। यह पहल जिले में डिजिटल प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

आवेदन प्रक्रिया एवं पात्रता

ईओआई दस्तावेज़ शुल्क 1000 रुपये अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। केवल 'स्टार्टअप इंडिया' में पंजीकृत तथा कम से कम दो शासकीय परियोजनाओं का अनुभव रखने वाली संस्थाएं ही आवेदन के लिए पात्र होंगी। चयन प्रक्रिया में तकनीकी गुणवत्ता, नवाचार एवं रचनात्मकता को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित एजेंसी के पास उच्च स्तरीय एवं रचनात्मक एप्लिकेशन विकसित करने का अनुभव, मजबूत आईटी कौशल, उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को समझने वाली सक्षम संपादकीय टीम, क्लाउड आधारित एप्लिकेशन डिजाइन, होस्टिंग एवं अनुरक्षण में विशेषज्ञता तथा निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने की क्षमता आवश्यक है। एजेंसी को ऑनलाइन उत्पाद रणनीति तैयार करनी होगी, वर्तमान एप्लिकेशन के डिजाइन एवं कंटेंट में उन्नयन करना होगा, नए सर्वर पर एप्लिकेशन की होस्टिंग एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करना होगा, तथा कंटेंट एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग और आवश्यकता अनुसार नए कंटेंट का विकास एवं अद्यतन करना होगा।

उप-ठेकेदारी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी

कार्य से संबंधित सभी दस्तावेज एवं डेटा जिला पंचायत सरगुजा की संपत्ति होंगे। निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण न होने पर प्रतिदिन 10 प्रतिशत तक दंड का प्रावधान रहेगा। उप-ठेकेदारी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात अथवा आपसी सहमति के अनुसार किया जाएगा। विवाद की स्थिति में मध्यस्थता का स्थान अम्बिकापुर निर्धारित होगा। जिला पंचायत को किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। इच्छुक एजेंसियों को अपना प्रस्ताव 17 फरवरी 2026 तक सीलबंद लिफाफों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, पिन कोड - 497001 निम्न पते पर जमा करना होगा। सीईओ ने बताया कि प्रस्तावित डैशबोर्ड केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं होगा, बल्कि इसे रचनात्मक और सरल ढंग से डिजाइन किया जाएगा ताकि आम नागरिक भी पंचायत के बजट, व्यय एवं विकास कार्यों की प्रगति को सहज रूप से समझ सकें।

कोयला लोड ट्राला से हुई टक्कर में युवक की मौत, 2 घायल

मृतक को लेकर जा रहे थे अस्पताल, गांव में पसरा मातम, ग्रामीणों ने सड़क जाम किया

छ.ग.फ्रंटलाइन जरही। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने की जल्दबाजी एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुई। मायापुर द्वितीय निवासी 26 वर्षीय गदे राम की कोयला लोड ट्राला से हुई भीषण सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दो अन्य युवक घायल हो गए। हादसा इतना गंभीर था कि मृतक ट्राला के पहिए की चपेट में आकर घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार मायापुर द्वितीय निवासी ननकू (29) पारिवारिक विवाद में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी हालत बिगड़ने पर गांव का ही बाइक चालक संतोष और गदे राम उसे सोनगरा अस्पताल लेकर जा रहे थे। तीनों युवक एक ही बाइक क्रमांक सीजी 15 डीएम 1871 में सवार थे और घायल की जान बचाने की जल्दबाजी में तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सामने जा रहे कोयला लोड ट्राला क्रमांक सीजी 15 ईएच 8375 से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। पीछे बैठा गदे राम ट्राला के पिछले पहिए की चपेट में आ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद कुछ देर तक घटनास्थल में अफरा-तफरी का माहौल रहा।

दो घायलों का उपचार जारी-घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम ललित भगत, तहसीलदार चंद्रशिला जायसवाल, थाना प्रभारी सरफराज फिरदौसी और चौकी प्रभारी रघुवंश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना में घायल ननकू और चालक संतोष को स्थानीय लोगों की मदद से सोनगरा अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद ननकू की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, संतोष को भी चोटें आई हैं।

गांव में मातम, सड़क पर उतरे ग्रामीण-जैसे ही मौत की खबर मायापुर द्वितीय पहुंची, गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके घर पहुंचे और संवेदना व्यक्त की। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। भारी वाहनों की तेज रफ्तार व लापरवाही पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर कोयला वाहनों की बेलगाम आवाजाही और ट्रैफिक नियंत्रण की कमी के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा रहा है।

सड़क सुरक्षा को लेकर उठे सवाल-स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मार्ग पर भारी वाहनों की गति सीमित की जाए, नियमित निगरानी की व्यवस्था हो और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह हादसा एक परिवार की खुशियां छीनने के साथ क्षेत्र में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

मंगलसूत्र उतारकर फेंका और पति के गुप्तांग को कसकर जकड़ ली महिला

दर्द से छटपटा रहे पति ने गला घोंटकर पत्नी को मौत के घाट उतारा
खाना नहीं बनाने को लेकर दोनों के बीच हुआ था विवाद

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पति-पत्नी के बीच खाना नहीं बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद आवेशित हुए पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। विवाद के दौरान पत्नी अपने गले से मंगलसूत्र निकालकर फेंकने के बाद पति के गुप्तांग को पकड़ ली। दर्द से कराह रहा पति गुप्तांग को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। इससे आवेशित होकर वह गमछे से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दिया। हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक झारखंड के लातेहार का शशिभूषण कुमार पिछले 8 माह से ग्राम सोनतराई में पत्नी मंजू देवी के साथ किराए के मकान में रहता था। शशिभूषण किराना दुकानों में चॉकलेट, बिस्किट की सप्लाई करने का काम करता था। 9 फरवरी की रात वह मैनपाट से काम निपटाकर शाम को घर लौटा था। घर आने पर पता चला कि पत्नी ने खाना नहीं बनाया है। इसके बाद वह खुद खाना बनाने के लिए जा रहा था, इस बीच पत्नी उससे विवाद करने लगी। पति को गालियां देते हुए पत्नी अपने गले से मंगलसूत्र निकालकर फेंक दी और पति के गुप्तांग को कसकर पकड़ लिया। पत्नी की इस हरकत से पति दर्द से कराह उठा। गुप्तांग को छुड़ाने का प्रयास विफल होने पर गुस्से में वह गमछे से पत्नी का गला घोंट कर हत्या कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार करके धारा 103(1) का अपराध दर्ज कर ली है। आरोपी पति को पुलिस ने जेल भेज दिया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी अखिलेश सिंह सहित पुलिस बल सक्रिय रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर